फीजी

राष्ट्र और अर्थ व्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट

संक्षिप्त भाग

फीजी: राष्ट्र और अर्थ व्यवस्था की स्थिति

संक्षिप्त भाग

भूमिका

फरवरी सन् दो हज़ार आठ में, नेशनल काउँसल फोर बिल्डिंग अ बेटर फीजी (एन सी बी बी एफ) ने रिर्पोट ओन द स्टेट ओफ द नेशन एन्ड द इकोनोमी (भविष्य में, सलाहकारणी कागज़ात) को प्रस्तुत किया। इसे अन्ग्रेज़ी, काईवीती और हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया गया और देश भर में वितरित किया गया। फीजी के सभी मुख्य शहरों तथा एक हज़ार से ज़्यादा कोरो और गाँवों में विस्तृत तौर परामर्श किए गए एव सलाहकारणी कागज़ात में विभिन्न विषयों पर विचार किया गया।

सलाहकारणी कागज़ात में फीजी के मामलों और स्थिति, जो पिछले दो दशकों में घटी और सामने आए हैं, की बहुत ही उदास छवि देखने को मिली। इस में दर्शाया गया कि:

1. एक देश जो सत्ता पलटाव की प्रथा के फलस्वरूप बार बार सरकार को सत्ता से हटाने और राजनीतिक अस्थिरता से आहत हुई है;
2. मुख्य समाजों के बीच विश्वास की कमी;
3. बढ़ती हुई भ्रष्टाचारी और ताकत का दुरोपयोग
4. कम बचत और पूँजी, तथा स्कूल की पढ़ाई खत्म कर चुक विद्यार्थियों को नौकरी प्रदान करने के लिए हर साल परस्पर अपर्याप्त नई नौकरियाँ उपलब्ध होना, लम्बे अरसे से बेरोज़गार लोग तो बहुत दूर की बात है;
5. बेरोज़गारी और गरीबी में तेज़ी से हो रही वृद्धि;

6. उन लोगों की संख्या में वृद्धि जो झोपड़-पट्टियों में रहने के लिए मजबूर हैं, एक ऐसी
स्थिति जो गन्ने के खेतों की लीसों को पुन: नया न करने स उत्पन्न हुई है;
7. उत्पादक और सामाजिक कार्यों के लिए ज़मीन की उपलब्धि में कमी;
8. कपड़ों और चीनी के बाज़ार के निर्यात आधार में कमज़ोरी तथा इस लिए भी क्योंकि
कुछ ज़मीनों को कृषि इस्तेमाल से वापस कर लिया गया है,
9. उत्प्रवासन की बढ़ती दर के कारण बहुमूल्य हुनर, अनुभव तथा विशेषज्ञों की ठोस कमी;
10. पब्लिक सेक्टर और समाज में सेवा प्रदान करने के स्तर म परस्पर गिरावट;
11. सरकारी कर्ज़ में वृद्धि तथा ज़रूरी इन्फ्रस्ट्रक्चा जैसे कि पानी, रास ते, मल व्यवस्था, बिजली और घरों की व्यवस्था के लिए पैसों की आपूर्ती; तथा
12. देश की इन्फ्रस्ट्रक्चा की स्थिति में गिरावट।

मध्य-फरवरी से मध्य-जुलाई सन् दो हज़ार आठ के बीच में, एन सी बी बी एफ द्वारा नियुक्त तीन राष्ट्रीय टास्क टीमों (एन टी टी) और एन टी टी द्वारा संस्थापित नौ कार्यकारणी दलों ने कई महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण किया। इन सभी कार्यों से प्राप्त जाँच परिणाम एवं देश भर में किए गए परामर्श के ज़रिये प्राप्त विचारों ने ठोस रूप से दर्शाई गई फीजी की असल स्थिति का समर्थन किया है, जैसा कि प्रारम्भ में सलाहकारणी कागज़ात में स्पष्ट है।

पुन: विचार, विश्लेषण तथा देश भर में किए गए परामर्श ने उस विचा र की पुष्टि की कि फीजी के लोग अब जिस देश में रहते हैं, उस से वे निराश और अमोहक हैं। देश की आज़ादी के समय उनकी जो आशाएँ थी, वो सब चकनाचूर हो गईं। जिस सच्चाई का वे

अब सामना कर रहे हैं, वो एक ऐसा देश है जो राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता पलटावों के परिणाम, एक स्थिर अर्थ व्यवस्था, विश्वास औ र भरोसे की कमी, बेरोज़गारी व गरीबी की बढ़ती समस्या, धार्मिक व जातीय असहनशीलता एवं विभाजन, कई हुनरशील नागरिकोंका उत्प्रवा सन तथा अपराध और हिंसा की बढ़ती मुसीबत से जूझ रही है।

ये स्पष्ट है कि फीजी में बहुत से गलत कार्य हो रहे थे। इसके अतिरि क्त, इस से भी गम्भीर और निराशाजनक ये एहसास है कि ये देश अब तक अपने ही समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ रही है।

एक समाज में मुख्य तनाव को सुलझाने की ज़िम्मेदारी, उदाहरण के तौर पर, ज़मीन, आमदनी वितरण, नौकरियाँ, शिक्षा, स्वास्थय और घरो ं की व्यवस्था को ले कर तनाव-हर एक देश की राजनीतिक प्रणाली और उसके नेताओं, खास कर उस के राजनीतिज्ञों के हाथमें होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं मामलों से निपटने के लिए राजनीतिज्ञों का चुनाव किया जाता है। पिछले दो दशकों में, इन गम्भीर मामलों को सुलझाने की असमर्थता दर्शाती है कि फीजी की लोकतांत्रिक प्रणाली और उसके नेतागिरी में क्या खामियाँ हैं।

अध्याय एक: आम चुनाव प्रणाली में सुधार

राष्ट्र भर में परामर्श प्रकिया तथा तीन एन टी टी और नौ कार्यकारणी दलों के कार्य ने पाया कि फीजी की संवैधानिक व्यवस्था एवं राजनीतिक प्रणाली- खास कर आम चुनाव प्रणाली में समस्याएँ- राष्ट्र की कई अत्यावश्यक समस्याओं में से एक है।

वर्तमान की आम चुनाव प्रणाली की जातीय-आधारित वास्तुकला तथा 1997 के बाद से तीन आम चुनावों में इस ने जिस तरह के अन्यायि क परिणामों को प्रस्तुत किया है- वर्तमान की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी असंतोष का एक मुख्य कारण है।

संसद में कोम्म्यूनल सीटों का एक बराबर हिस्सा तथा इसे कायम रखना, साथ में एल्टेनेटिव वोटिंग प्रणाली ने राजनीतिक समभाव की ताकत को कम कर दिया जबकि इसके शक्तिशाली पहलुओं को मज़बूत कर दिया। इसके फलस्वरूप, राजनीतिक जीवन बँट चुका है: कोम्म्यूनल-रोल सीटों से चुने गए सांसद अन्य समाजों की चिंताओं पर बहुत कम ध्यान देते हैं। इस प्रेरणा की कमी ने कुछ राजनीतिज्ञों को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए साम्प्रदायिक और धार्मिक भिन्नताओं पर बल दें तथा अपने समर्थकों में इस विश्वास को बढ़ावा दें कि आम चुनाव होड़बाज़ी का एकमात्र लक्ष्ययही है कि वे दूसरे समाजों के बल पर अपने समाज की पदवी को बढ़ाएँ या सुधारें। फीजी के लिए इसका अंतिम परिणाम रहा समाजों के बीच विश्वास की कमी, जिस ने बदले में धार्मिध व जातीय असहनशीलता, यहाँ तक कि नफरत, को बढ़ावा दिया है- जिसकी झलक हिंसा एवं धार्मिक अपवित्रिकरण की घटनाओं में वृद्धि से मिलती है।

संक्षिप्त में, ऐसा प्रतीत होता है कि फीजी के कई नागरिक में वर्तमान के 1997 संविधान के तहत आम चुनाव प्रणाली की विश्वसनी यता और कानूनीयता कम हो गई है। एक नई और न्याय संगत आम चुनाव व्यवस्था की ठोस माँग की जा रही है।

आम चुनाव प्रणाली में सुधार का मामला

व्यावहारिकता के कारणों के लिए, लोकतंत्र हमेशा से ही प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की अवस्था में है जहाँ, स्वतंत्र और समान मतदान देने के अधिकार के आधार पर, राष्ट्र की प्राथमिकताओं पर निर्णय लेने के लिए तथा आम भलाई के लिए देश के संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लेकिन शासन को सफल बनाने के लिए आम चुनाव स्वतंत्र और न्याय संगत होना चाहिए। उन्हें इस तरह से कार्य करना चाहिए, जिस से कि एक आम

भलाई की दृष्टि से लोगों में एकता लाई जाए, जो कुछ नागरिकों को पीछे न छोड़ दे।

1996 में, रीवूज़ कोन्स्टीट्यूशन रीव्यू कोमिशन ने जातीय राजनीति के स्थायीकरण को आम चुनाव प्रणाली से जोड़ा जब उन्होंने घोषित किया कि:

'फीजी के लोगों को एक सचेत निर्णय लेना होगा कि क्या वे साम्प्रादायिक प्रणाली, जिस ने आज़ादी से पहले से जातीय नीतियों को अनिवार्य बना दिया था, से पीछे हटने की इच्छा रखते हैं या नही'

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर रीवूज़ कोमिशन के निष्कर्ष आज भी उतना ही उप्युक्त है जितना कि 1996 में थे। असल में, फीजी के हाल के भूतकाल को देखते हुए, अब तो और भी ज़रूरी है कि साम्प्र दायिक प्रतिनिधी को पूरी तरह से रद्ध कर दिया जाए। कोम्म्यूनल वो़टिंग प्रणाली को बरकरार रखने से झलक मिलती है कि फीजी अंतर्राष्ट्रीय रिवाज़ों, जैसे कि युनाइटड नेशन्स् डेक्लेरेशन ओफ ह्यूमन राइट्स् तथा कोन्वेन्शन फोर दएलीमिनेशन ओफ ओल फोर्म्स ओफ रैशल डिस्क्रीमिनेशन (सी ई आर डी) के प्रति कम वचनबद्ध है। ये अंतर्राष्ट्रीये स्तर मतदान करने के समान अधिकार तथा ऐसी प्रणालियाँ, जो जातीय आधार पर रूकावटें न डालती हों, के सिद्धांत के प्रति वचनबद्धता का ठोस समर्थन करते हैं। इस के अतिरिक्त, आदिवासियों के अधिकारों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीये सम्मेलन में यह उपलब्धि शामिल है कि आदिवासियों के अधिकारों को कार्यरूप देना समाज के अन्य सदस्यों के मूल मानव अधिकारों के लिए हानिकारक नही होना चाहिए। 1997 संविधान के व्यवस्थापन के बाद से, फीजी में दो और सत्ता पलटाव हो चुके हैं तथा राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, जो साम्प्रदायिक मतदान प्रणाली का परिणाम है जो फीजी के समाजों में विभाजन पैदा करती है। साम्प्रदायिक मतदान ने न ही देश में एकता लाने के लक्ष्य को हासिल किया है और न ही विभिन्न

जातियों की रूचियों को बचाया है। 1987 से महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय या डेमोग्राफ़िक बदलाव हुए हैं: देश में फीजीअन्स की जनसंख्या ज़्यादा है। इस बदलाव ने उस कारण को रद्ध कर दिया है, जो कभी साम्प्रदायिक मतदान को बरकार रखने के लिए था- अल्पसंख्यक आदिवासी जाति की रूचियों को बचाने की आवश्यकता। ये स्पष्ट है कि फीजी के लिए एक नई कोशिश की ज़रूरत है जो जाति-आधारित राजनीति को रद्ध कर सके।

आम चुनाव प्रणाली कितना न्याय संगत है, इसको आकने के लिए सात मानक सिद्धांतों
का इस्तेमाल किया गया। ये सिद्धांत हैं :-

(1) लोगों के पास जो ताकत है, उसे संसद को सौंपने की कानूनीयता (एक व्यक्ति, एक मत, एक महत्वपूर्ण आम चुनाव परिणाम जो न्याय संगत और वास्तविक हो);
(2) जवाबदेही (चुने गए प्रतिनिधी अपने कदमों के लिए उत्तरदायी है), पार्टियों के मामले उन नीतियों पर आधारित हों जो, जब वे चुन लिए जाए, तो उनके नीतियों के लिए आदेश प्रदान करे;
(3) संसद के प्रतिनिधी (पार्टियों या सामाजिक दलों को उनके मतों या समाज में संख्या के आधार पर संसद में नियुक्त किया जाता है-कभी कभी इसे "सोशल मिर्ररिंग" कहते हैं);
(4) प्रणाली की सरलता;
(5) प्रणाली को निष्पक्षता को बढ़ावा देना चाहिए; तथा अन्त में
(6) जन समर्थन के रूप में प्रणाली की स्वीकार्यता।

फीजी की वर्तमान की आम चुनाव प्रणाली इन सिद्धांतों की पूर्ती नहीं करती है. और न ही ये फीजी में एक ऐसे आम चुनाव प्रणाली की स्पष्ट ज़रूरत की पूर्ती करती है जो जातीय भिन्नताओं को कम करे न कि उन्हें और बिगाड़ें। इन के परिणाम न्याय संगत और उपयुक्त

नहीं होते हैं: उदाहरण के तौर पर, नेशनल फेडेरेशन पार्टी जैसी पार्टी की संसद् में एक भी सीट न जीतने की अमर्थता भले ही उन्हें तीन आनुक्रमिक आम चुनावों में महत्वपूर्ण समर्थन मिला था तथा ये न्याय संगत परिणाम नहीं है। मत देने का अधिकार समान नहीं है क्योंकि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतों के महत्व में भारी अन्तर है।

उदाहरण के तौर पर, सन् दो हज़ार छ: में, नमोसी के "ई-तौकेई" सीट में 3,340 रेजिस्टड मतदाता थे जबकि पास के नन्द्रोंगा/नव़ोसा सीट में 19,044 रेजिस्टट मतदाता थे। सत्तराह प्रांतिये फीजीअन निर्वाचन क्षेत्रों में औसत 9,521 रेजिस्टड मतदाता थे लेकिन छ: शहरी फीजीअन निर्वाचन क्षेत्रों में औसत 15,930 रेजिस्टड मतदाता थे।

जैसा कि उपर स्पष्ट है, वर्तमान की आम चुनाव प्रणाली की कानूनीय ता को ले कर भी संदेह है, जहाँ तक मानव अधिकारों का सवाल है। ये सब विषय वर्तमान की प्रणाली के अन्य पहलुओं पर भी असर कर ते हैं जबकि आम चुनाव परिणामों पर उचित जवाबदेही का विश्वास नहीं किया जा सकता या वे सरकार को उचित आदेश को कार्यरूप देने के लिए वास्तविक और न्याय संगत सलाह नहीं दे सकते। फीजी की विविधता का प्रभावी प्रतिनिधित्व जाति द्वारा स्पष्ट होती है और जहाँ तक परिणाम का विषय है, तो उस का असर अस्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान की प्रणाली सरलता से कहीं दूर है जबकि 1999 से जितने भी आम चुनाव हुए हैं, उन सभी के दौरान भारी मात्रा में अविधिमान्य मत-पत्र या इनव़ेलिड बेलट्स् प्राप्त हुए थे।

सुधार के विकल्पों पर गौर करते हुए, एन सी बी बी एफ ने वर्तमान की आम चुनाव प्रणाली के अलग अलग तत्वों पर विचार किया ताकि वे बदलाव के लिए विशिष्ट अंसों की पहचान कर सकें। मुख्य तत्व जिन की पहचान की गई में शामिल हैं:

- वर्तमान की एल्टेनेटिव़ व़ोटिंग प्रणाली के जगह पर आम चुनाव के किस प्रणाली को लागू किया जाए?

- क्या साम्प्रदायिक सीटों को बरकरार रखा जाए या इन के जगह पर सभी सीटो के लिए कोम्न रोल्स् इस्तेमाल किया जाए?
- किस तरह से निर्वाचन क्षेत्र बाउन्ड्रीस को निर्धारित किया जाए जिस से कि प्रतिनिधित्व सरकार एवं एक व्यक्ति, एक मत, एम महत्व को आश्वस्त किया जाए ?

जाति-आधारित राजनीति को रद्ध करने की निष्पक्ष समझौते को देखते हुए, सर्वसम्मति पर पहुँचा गया कि पहले दो सवाल एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। साम्प्रदायिक सीटों को बरकरार रखना जाति-आधारित राजनीति को रद्ध करने से मेल नहीं खाता है। किसी भी नागरिक को मतदान में भाग लेने के लिए अपनी जाति की जानकारी देने पर विवश नहीं होना चाहिए, जो कि नागरिकता का अहम राजनीतिक कार्य है। तथापि, जिस प्रणाली को स्वीकार किया जाएगा, उसे फीजी की जातीय विविधता के न्याय संगत प्रतिनिधी का आश्वासन देना चाहिए। सभी विकल्पों पर विस्तारपूर्वक गौर करने के बाद, एन सी बी बी एफ एक मत से सहमत हुआ कि फीजी में किसी तरह के प्रोर्पोशनल रिप्रीज़ेन्टेशन(पी आर)आम चुनाव प्रणाली की आवश्यकता है।

स्वतंत्र एलेक्ट्रोल कोमिशन भी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि न्याय संगत आम चुनाव परिणामों के लिए फीजी को एक प्रोर्पोशनल रिप्रीज़ेन्टेशन प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए।

एन सी बी बी एफ इस बात पर भी सहमत हुआ कि जिस तरह के पी आर प्रणाली को चुना जाएगा उस से निष्पक्ष एलेक्ट्रोल बाउन्ड्रीज़ के मामले पर असर पड़ेगा। प्रोर्पोशनल रिप्रीज़ेन्टेशन प्रणाली के तीन मुख्य विकल्पों पर गौर करने के बाद,(खास कर, सिंगल ट्रान्सफ़ेरेबल व़ोट (एस वी टी); मिक्स्ड-मेम्बर प्रोर्पोशनल प्रणाली (एम एम पी); तथा
एक सरल सूची प्रणाली) एन सी बी बी एफ ने इन आधारों पर ओपन लिस्ट प्रणाली का चुनाव किया कि (1) इस प्रणाली के मूलभूत न्याय

संगत संसद् की कानूनीयता को मज़बूत करेगी (2) ये मतदाताओं के प्रति राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही को बढ़ाएगा; तथा इस के अति रिक्त (3) मतदाताओं को मौका दे कर कि वे पार्टी की सूची में से व्यक्तिगत उम्मीदवार का चुनाव करे, के ज़रिये कुछ व्यक्तिगत जवाब देही का भी प्रस्ताव रखा गया था. अन्य मुख्य फायदे हैं वास्तविक मत (जैसे कि सोशल मिर्ररिंग) के परावर्तन और उसके संचालन के सम्बन्धित सरलता।

इसी कारण से, एन सी बी बी एफ सिफारिश करता है:

- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को रद्ध करना, जिस की उपल ब्धि वर्तमान के संविधान और एलेक्ट्रोल एक्ट 1998 में है,
- भविष्य में होने वाले सभी आम चुनावों के लिए एक कोम्न रोल का इस्तेमाल करना,
- एक प्रोर्पोशनल रिप्रीज़ेन्टेशन (पी आर) प्रणाली को स्वीकार करना (ओपन लिस्ट विकल्प का इस्तेमाल कर के), तथा
- अगले आम चुनाव से पहले इन एलेक्ट्रोल बदलावों को कार्यरूप देना, जो कि जैसे ही वास्तविक हो, हो जाना चाहिए।

एन सी बी बी एफ ने कुछ अनुशंगिक विषयों पर भी गौर किया। उन्होंने कम संख्या के बड़े निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा ताकि एक पी आर प्रणाली के प्रोर्पोशनल फायदे हो सकें। उन्होंने सिफारिश की कि संविधान में स्पष्ट आदेशात्मक अधिकारबाट व्यवस्था को रद्ध की जाए; मतदान करने की उम्र को इक्कीस से घटा कर अट्ठार ाह करना ; तथा
अनिवार्य मतदान का उन्मूलन या रद्ध करना।

आम चुनाव प्रणाली से सम्बन्धित अन्य विषयों, जैसे कि संसद् की अवधि, संसद् का आकार, क्या फीजी में जनमतसंग्रह के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए, विदेश में रह रहे नागरिकों द्वारा

मतदान करने की कानूनन योग्यता; तथा सीनेट की भूमिका, आकारएवं संयोजन, पर भी गौर किया गया तथा आम चुनाव प्रणाली में प्रस्तावित सुधार समबन्धिपेकेज पर देश भर में परामर्श के लिए भी इन्हे लोगों के समक्ष ले जाया जाएगा।

अध्याय दो: राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीये पहचान तथा धर्म, संस्कृति व शिक्षा की भूमिका

फीजी की मूल समस्याओं में से एक है एकता की कमी तथा एक नई आम चुनाव प्रणाली मुख्य समाजों के बीच संगठन लाने के लिए अकेले ही पर्याप्त नहीं है। हमें इस देश के नागरिक होने के हैसियत से अपनी आम रूचियों के आधार पर सर्वसम्मति हासिल करने की आवश्यकता है ताकि सभी एक साथ मिल कर आगे बढ़ सकें। इस प्रक्रिया में शामिलहै सभी को याद दिलाना कि फीजी में अब एक कोम्म्यूनिटी ओफ बेर्थ है और बीते दशकों से चले आ रहे सहबद्धता अब भी जारी है, जिसने इतिहास रचा है, जिस में फीजी के विनिभन्न समाजों की संस्कृति और जीविका बटी हुई है। इस में शामि ल है संगठित रूचियों को स्वीकार करना और उन पर बल देना, जो हमारे समाजों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्ध से परिवर्तित हुई है। इस का यह भी अर्थ है कि लोग एक आम राजनीतिक योजना में शामिल हो जिस का लक्ष्य है उन परियों को बढ़ाना जो एक राष्ट्रीय पहचान के लिए फीजी के लोगों को संगठित रखता है। परामर्श प्रक्रियाओं के दौरान प्राप्त विचार और जानकारियों तथा कार्यकारणी दलों एवं एन टी टी ने कहा कि यहदूसरी अहम समस्या है जिसे आत्यावश्यकता से सुलझाने की ज़रूरत है।

एक राष्ट्र की पहचान में शामिल है साझा मूल विश्वविचार और उनके नागरिकों, समाजों एवं संस्थाओं के नैतिक तथा कई प्रकार के प्रतीक , जैसे कि राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गीत, से देखनो को मिलता है।

एक राष्ट्रीय पहचान सभी को सम्मलित करने वाला होता है: ये देश के सभी समाजों को सम्मलित करता है। ये सभी को नागरिक के हैसियत से एकजुट करता है ताकि उन्हें इस राष्ट्र के होने का एहसा स हो सके। एक राष्ट्रीये पहचान की महत्वता, शासन और सार्वजनिक नीति के लिए, यह है कि ये एक नैतिक समाज का निमार्ण करता है, जिसके तहत सभी के पास समान अधिकार है कि वे सरकार और पूरे समाज की सहायता के लिए हकदार हो सकें। एक राष्ट्र में सरकार की भूमिका होती है सभी नागरिकों की रूचियोपर गौर करना, चाहे वे किसी भी समाज के हो। इसी को मद्येनज़र रखते हुए, ये एक ज़रूरतमन्द बल है जो साम्प्रदायिक राजनीति के स्वार्थी लोगों का विरोध करता है।

अगर फीजी को स्वार्थी साम्प्रदायिक राजनीति के फेर से बचना है, तो फीजी के लोगों के लिए एक राष्ट्रीये पहचान का होना ज़रूरी है। वर्त मान समय में, फीजी के लोगों में ठोस जातीय पहचान का एहसास है जो फीजी के इतिहास के चलते जातीय संस्थाओं स प्रेरित हुआ है। इसके फलस्वरूप, फीजी के लोग अपने जातीय पहचान के बारे में ज़्यादा जानते हैं न कि अपने राष्ट्रीये पहचान के बारे में। तथा इन सब की झलक औपचारिक कागज़ातों से मिलती है और खास कर के दो घटनाओं में: फीजी के नागरिकों के लिए एक आम नाम जिस पर बहुत समय से वार्ताएँ हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है; तथा नागरिकता के उप-श्रेणी, जो राष्ट्रीये जनगणणा, प्रवासन प्रवेश/एन्ट्री तथा प्रस्थान फोर्म।

धर्म, संस्कृति और शिक्षा

शिक्षा को विश्व स्तर पर राष्ट्र के निमार्ण में इस्तेमाल किया जाता है जबकि संस्कृति और धर्म व्यक्तिगत पहचान के ठोस अंश हैं तथा ये राष्ट्रीये पहचान को विकसित करने के लिए भी ज़रूरतमन्द अंश है। राष्ट्रीये पहचान को विकसित करने के लिए साझा पहलुओं, जैसे कि

आम राष्ट्रीये नाम, पर बल देने की आवश्यकता है जो इस राष्ट्र के ह ोने के एहसास को मज़बूत करेगा तथा राष्ट्र के प्रति सहियोग एवं स्वामीभक्त को बढ़ाएगा।

राष्ट्रीये पहचान को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति और धर्म को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। वर्तमान समय में, हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि ये फीजी में विभाजन ला रहे हैंन कि राष्ट्रीये पहचान और राष्ट्र के निर्माण में मदद् कर रहे हैं। इस समस्या का समाधानकरने के लिए, फीजी के विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक साझा नैतिक की पहचान करने की ज़रूरत है तथा इन्हें इस तरह से स्पष्ट करने की ज़रूरत है जिस से कि महत्वपूर्ण मेल-मिलाप को बढ़ावा दिया जा सके। दो सन्दर्भ जो बिखर रह हैं-लेकिन जो एकता ला सकते हैं-में शामिल हैं बहुसंस्कृति और अनेकत्व. हालांकि, अगर इन सन्दर्भों को अच्छी तरह से समझा जाए तो ये एक संगठित राष्ट्र के निर्माण में सुधार ला सकता है।

मुख्य विषय जो फीजी के समाज को बिखेरने में सहियोग देते हैं, में शामिल हैं:

- एक आम राष्ट्रीय पहचान का ना होना;
- सभी स्तरों में शिक्षा पाठ्यक्रम, जिसके ज़रिये सामाजिक सुसंगति, संगठन, और अनेकत्व वाले समाज में कैसे रहा जाता है, के बारे में सिखाया जाए- की अपर्याप्तता।
- तुलनात्मक धार्मिक अध्ययन, नैतिक आदर्श तथा राष्ट्रीये प्रतीक को स्वीकार करने पर बल देने की असमर्थता; एवं
- ये सच्चाई कि फीजी के कई राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृ तक नेता स्वतंत रूप से कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए साथ मिल कर काम नहीं कर रहे हैं।

एक राष्ट्रीय पहचान को विकसित करने की प्रक्रिया में शामिल है राष्ट्रीय वर्णात्मक कहानियों, प्रतीक, साझा नैतिक और फीजी से तथा फीजी के लिए लोगों की आशा को पहचानना तथा उन्हें स्पष्ट करना। इस तरह की प्रक्रिया को फीजी के लिए निर्धारित करनेतथा उसे कार्यरूप देने की ज़रूरत है। फीजी के सभी लोगों के प्रतिनिधियों को इस म भाग लेना चाहिए। तथा फीजी के नेताओं को अपने साम्प्रदायिक रूचियों पर ध्यान देने के बजाए राष्ट्र पर गौर करना चाहिए। संस्थाओं को इस तरह से मज़बूत बनाने की आवश्यकता है जिस से कि उनकी कोशिशें राष्ट्रीये पहचान व रूचि का समर्थन करने की ओर हो।

एक राष्ट्रीये पहचान की कमी का सब से स्पष्टप्रकट लक्षण है एक आम नाम की कमी। एन सी बी बी एफ ने सिफारिश की है कि हमारे राष्ट्र का नाम फीजी होना चाहिए ("फीजी द्वीप" नहीं) तथा फीजी के सभी नागरिकों का एक आम नाम होना चाहिए-फीजीअन- जो उनका आम राष्ट्रीये पहचान होगा। हाँ, मुख्य पहचान को कायम रखना ज़रूरी हो सकता है जिसके तहत आदिवासी फीजीअन्स को "ई-तौकइ", फीजी भारतीयों को फीजीअन भारतीयों और अन्य जैसे कि चीनी लोगों को फीजीअन चीनी कहा जाना जारी रखा जाएगा। एन सी बी बी एफ ने यह भी सिफारिश की है कि एक एन्टी डिस्क्रीमिनेशन एक्ट को अधिनियम किया जाए तथा फीजी के सभी नागरिकों के रेजिस्ट्रेशन के लिए एक नेशनल आईदेन्टिफीकेशन सिस्टम की संस्थापना की जाए।

एन सी बी बी एफ सभी सम्बन्धित संस्थाओं से माँग कर रहा है कि वे फीजी के विविध संस्कृतियों के बीच एकता को बढ़ावा दें; शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव करें ताकि सामाजिक और सेर्विस लेर्निन्ग का मौका मिल सके-जो सामाजिक सुसंगति और राष्ट्रीय मेल-मिलाप कोबढ़ावा देने के साथ साथ प्रोत्साहित करेगा; सच्चाई, सही कदम, प्रेम, शान्ति एवं अहिंसा के मूल नैतिक के बारे में शिक्षित करना; तथा

पाठशालाओं और दफ़तरों में राष्ट्रीये प्रतीक (ध्वज, राष्ट्रीय गीत, मुद्रा) को बढ़ावा देना जबकि इसके साथ ही इन पर पुण: विचार करना ताकि ये विभिन्न भाषाओं (काईवीती, हिन्दी तथा अन्ग्रेज़ी) एवं संगीत (तरीकों और राष्ट्रीय गीत) को मिला सकें।

एन सी बी बी एफ ने यह भी सिफारिश की है कि सभी पाठशालाओं में कक्षा पाँस से ले कर फोर्म 7 तक काईवीती, हिन्दी और अन्ग्रज़ी भाषा को अनिवार्य किया जाए; एक कोमिशन ओफ हीलिंग एन्ड रीकोन्सीलिएशन, टूथ एन्ड जस्टिस का निर्माण किया जाए; तुलनात्मक धार्मिक अध्ययन के विषय में शिक्षित किया जाए, सभी धार्मिक दलों के बीच अध्यात्मिक और धार्मिक वार्ताओं को बढ़ावा दिया जाए; फीजी के बच्चों के लिए अनिवाय किताबों एवं साहित्य की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए एक नेशनल बुक ट्रस्ट की संस्थापना किया जाए ; सभी स्तरों पर पाठ्कम में बहु-सांस्कृतिक शिक्षा को शामिल कि या जा, राष्ट्रीय वर्णात्मक कहानियों को बरकरार रखने के लिए व बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जाए; तथा साझा नैतिक, आदर्श और सिद्धांतों पर आधारित फाउन्डेशन फोर द कोम्न गूड, जैसा कि पीपल्स चार्टर में शामिल है, को एक सूची या कार्यकम की तरह फीजी के संविधान में शामिल किया जाए।

अध्याय तीन: सत्ता पलटाव की प्रथा को खत्म करना

यहाँ तक कि एक स्वतंत्र और न्याय संगत आम चुनाव प्रणाली जो एक राष्ट्रीये पहचान केलिए तय की गई हो, खुद-ब-खुद सत्ता पलट ाव की प्रथा को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

सलाहकारणी कागज़ात को मिली प्रतिकियाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि फीजी के लोग सत्ता पलटाव की प्रथा को खत्म होते देखना चाहत े हैं। सत्ता पलटावों ने फीजी को कई प्रकार से हानि पहुँचाया है, सामा जिक और आर्थिक सन्दर्भ से ले कर जातीये सम्बन्धों से ले कर संस्था

गत ढ़ांचों तथा फीजी के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तक। सत्ता पलटावों ने प्रजातंत्रिक शासन तथा कानून को कमज़ोर किया है। सत्ता पलटाव लोगों के जीवन को बरबाद् करते हैं; वे विश्वास के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक मौकों को भी नष्ट कर देते हैं; तथा ये समाज में स्थाई दरार छोड़ जाते हैं। समाज के कुछ लोगों के लिए छोटे अरसे तक फायदों के बावजूद् भी सत्ता पलटाव में कोई लम्बे अरसे का विजेता नहीं होता है। समाज के सभी वर्गों पर किसी न किसी तरह से नकारात्मक असर पड़ता है। सोलह जनवरी, सन दो हज़ार आठ को एन सी बी बी एफ की पहली सभा में अंतरिम प्रधान मंत्री ने अप ने भाषण में पूछा कि “सत्ता पलटाव संस्कृति” को खत्म करना पीपल सचार्टर को विकसित करने के मुख्य लक्ष्यों में से एक होना चाहिए।

तो फीजी में “सत्ता पलटाव संस्कृति” को मिटाने के लिए क्या किया जा सकता है?

सेना के अतिरिक्त बहुत से अन्य लोग विभिन्न सत्ता पलटावों में शामि ल हुए हैं। इन लोगों में शामिल हैं राजनीतिक और व्यापारिक दल, जिन्होंने राष्ट्रीयवाद् और सेना का इस्तेमाल कर के अपने राजनीतिक और आर्थिक माँगों की पूर्ती की। अन्य कारणों ने भी अपने अलगअलग तरीकों से सत्ता पलटावों के प्रति योगदान दिया है: सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के फलस्वरूप राजनीतिक चिंताएँ औरराजनीतिक बलि के बकरों का निर्माण; अन्याय को बढ़ावा देने वाले बुरे शासन के उदाहरण जिनकी वजह से विवाद् हों, सामाजिक-मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारण जो लोगों के मान्सिक स्थिति और उनकी सांस्कृतिक भावनाओं पर असर करते हों; तथा फी जी में अन्य ताकत केन्द्रों, जैसे कि गिरजाघरों, के कार्य। अगर “सत्ता पलटाव संस्कृति” को मिटाना है, तो इन सभी कारणों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और इनका समाधान अलग अलग तरीकों तथा स्पष्टता से करने चाहिए।

फीजी की “सत्ता पलटाव संस्कृति” को खत्म करने के लिए तेरह मुख्य सिद्धांत हैं. इन मेंशामिल हैं सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को रद्ध करना जो सत्ता पलटाव के कारण हैं; सेना की भूमिका पर पुन: विचार करना ताकि इसे लोगों के और करीब लाया जा सके; अन्य सरकारी संस्थाओं को मज़बूत करना ताकि फीजी की शासन प्रणालियों में बराबरी के ताकत केन्द्र प्रदान किए जा सके; आम चुनाव प्रणाली में सुधार के ज़रिये जातीय मेल-मिलाप को प्रोत्साहित करना; राष्ट्रीये एकता, सुधार और विवादों के समाधान के लिए प्रकियाओं का निर्माण करना; चर्च और राष्ट्र के विभाजन को आश्वस्त करना; तथा उन लोगों के खिलाफ रूकावटों या प्रतिबन्धों को सख्त करना जो सत्ता पलटावों में भाग लेते हैं।

ये सभी तेरह सिद्धांत महत्वपूर्ण है लेकिन इन में से एक सब से महत्वपूर्ण है रिपब्लिक ओफ फीजी मिलिट्री फोर्सस की भूमिका पर पुन: विचार करना। यहाँ पर विषय है पुराने “सख्त सुरक्षा” के नज़रिये से हट कर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित “मानव सुरक्षा” के स्तर को अपनाना, मतलब कि समाज के साथ शामिल होना तथा उसे विभिन्न तरीकों से सहियोग प्रदान करना। मानव सुरक्षा लोगों की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देती है न कि सम्पति की सुरक्षा को तथा ये राष्ट्रीये सुरक्षा बलों और लोगों के बीच काफी संगठन को बढ़ावा देता है। एन सी बी बी एफ ने आर एफ एम एफ की भूमिका पर राष्ट्रीये वार्ताओं की माँग की है और वे मानव सुरक्षा की कई भूमिकाओं की रूपरेखा को भी आरेखित करते हैं, जैसे कि फीजी के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना, जो सेना को करना चाहिए। वे कानूनी तरीकों की भी माँग करते हैं ताकि सेना सरकार के साथ अच्छे शासन के मामलों पर वार्ताएँ करने में समर्थ हो। सेना की संसदीय निरीक्षण, एवं जनता और सेना के बीच सम्बन्धों को सुधारने के लिए सेना में जातीय और लिंग प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाने की सिफारिशें की गई हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं का संयोजन करना

फीजी की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में संशोधन करने की ज़रूरत है ताकि उसमें आधुनिक सुरक्षा खतरों और मानव सुरक्षा के उदाहरण को भी शामिल किया जा सके, जिस के तहतराष्ट्रीये सुरक्षा बल फीजी की राष्ट्रीये विकास में और भी व्यस्त रहें। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रऔर उस के नागरिकों के बीच सुव्यवस्थित और सभी को सम्मलित करने वाले एक सम्पूर्ण राष्ट्रीये सुरक्षा ढ़ांचे को कार्यरूप देना जो राष्ट्र और समा ज के बीच दूरियों को कम कर सकें। ये ढ़ांचा तय करेगा कि कैसे राष्ट्र सुरक्षा संस्थाएँ, जैसे कि पुलिस और सेना, असैनिक समाज संस्था एँ, धार्मिक संस्थाएँ और अन्य सामाजिक संस्थाएँ विभिन्न योजनाओं में सामान्य संस्थागत कार्यों में शामिल हो सकते हैं। ये संस्थागत कार्य परस्पर जारी रहने वाले प्रक्रिया होने चाहिए।

एन सी बी बी एफ ने प्रस्ताव रखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा काउँसल को अपनी सदस्यता कोबढ़ाना चाहिए ताकि उस में सेना और पुलिस, असैनिक समाज संस्थाएँ, महिलाओं की संस्थाएँ, शिक्षा संस्थाएँ और सामाजिक दलों को शामिल किया जा सके। इस के अतिरिक्त, नेशनल इन्टेलिजेन्स कोमिटी जैसे तरीके तथा प्रस्तावित नेशनल पीपल्स चार्टर की संस्थापना करनी चाहिए।

अध्याय चार: प्रजातांत्रिक शासन को मज़बूत करना

सत्ता पलटाव की प्रथा को खत्म करने की सम्भावना और बढ़ेगी अ गरप्रजातांत्रिक शासनके अन्य तत्व (अर्थात आम चुनाव प्रणाली के अ तिरिक्त) को सख्त किया जाए। संयुक्त राष्ट्र की बहुत सी संस्थाओं का मानना है कि अच्छे शासन के आठ मुख्य विशिष्टलक्षण होते हैं: अच्छे शासन में सभी को सम्मलित किया जाता है, सर्वसम्मति पर आधारितहोता है, जवाबदेह, पारदर्शी, उत्तरकारी, असरकारक और क ार्यकुशल, निष्पक्ष व सभी को संगठित करने वाला, तथा कानून का

पालन करने वाला। ये आश्वासन देता है कि भ्रष्टाचारी को कम किया जाएगा; अप्लसंख्यकों के विचारों पर अमल किया जाएगा तथा निर्णय लेते वक्त समाज के सब से कमज़ोर लोगों के विचारों को सुना जाएगा। ये समाज के वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के प्रति भी उत्तरकारी होगा।

प्रजातांत्रिक अच्छे शासन की संस्कृति को फीजी में अच्छी तरह से संस्थापित करना चाहिए ताकि वो यहाँ राजनीतिक सोच और व्यवहार का प्रबल तरीका बन जाए। अच्छे शासन के सिद्धांत को औपचारिक शासन ढ़ांचे, उस के अन्दर अन्य संस्थाओं और दैनिक आधार पर देश के शासन में लागू करने की ज़रूरत है; जहाँ तक नीति निर्धारित करने , निर्णय बनाने और सेवा प्रधान करने का सवाल है।

सब से महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिन में बदलाव की ज़रूरत है, में शामिल है कानून को बरकरार रखने में फीजी की कानूनी प्रणाली तथा युनिफोर्म्ड सेवाओं की फल साधना, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं का संयोजन करना, जवादेही और पारदर्शिता को सख्त करने के तरीके (जिस में शामिल है फ्रीडम ओफ इन्फोमेशन एक्ट को लागू करना); तथा अच्छे शासन और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में समाचार माध्यम की भूमिका।

फीजी की कानूनी प्रणाली की फल साधना

कानून की नीति को लागू करना किसी भी प्रजातांतिक समाज का मूल एवं सहनीय विशेषता होनी चाहिए। फीजी में, चार सत्ता पलटावों के बाद, ये विशेषता काफी दबाव में है। हालांकि कुछ कठिनाईयों के चलते, अदालती प्रणाली का संचालन जारी है। मुख्य साझेदार भी मानते रहे हैं कि अदालतें न्यायकि तौर पर कार्य कर रहे हैं। जबकि सत्ता पलटाव कानून की मूख्य चुनौती है, कई अन्य कारण भी है जिन्होंने सभी द्वारा न्याय संगत और समान न्याय हासिल करने पर

असर किया है–जैसे कि अप्रभावी कानून प्रवर्तन, कुछ अदालती कार्रवाईयों में विलम्भ, मूल कानूनी अधिकारों पर जनता में जागृति की कमी, मेजिस्ट्रेसी की कार्यक्षमता के बारे में शिकायतें, कानूनी पेशे के बन्दोबस्त में सुधार की सम्भावना, फीजी के कानूनी ढ़ांचे को समझना तथा पब्लिक रेजिस्ट्री सेवाओं में और सुधार करना। इन सभी क्षेत्रों में सुधार या बदलाव जारी रहेंगे तथा जबकि पिछले दशक मेंकुछ महत्वपूर्ण सुधार देखे गए हैं, तो वहीं देश की कानूनी प्रणाली को और सख्त करने के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है। एस एन ई रिपोर्ट कानून के प्रति जागृति में सुधार करने के तरीकों की सिफारिश करता है; ऐसी नीतियाँ बनाना जिस से कि गरीब लोगों को आसानी से न्याय मिल सके, न्याय पालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही को मज़बूत करना, मेजिस्ट्रेसी में कठिनाईयों का सामना करना तथा कानून में बदलावों क औपचारिक तरीकों में सुधार।

फीजी के हर एक सत्ता पलटाव के बाद ज्यूडीशल अफसरों के कदमो और उनकी स्वतंत्रता को ले कर काफी सार्वजनिक बहस हुई है। जबकि ये देखा जाए कि कुछ मामले अदालत के समक्ष हैं, इस रिपोर्ट में फीजी में ज्यूडीशरी की वर्तमान की स्थिति या उन लोगों के अधिकारों , जिन पर सत्ता पलटाव का असर पड़ा है, के बारे में कोई निष्कर्षनहीं दिया गया है। सिर्फ इतना ही कहा गया है कि फीजी के सत्ता पलटावों ने न्याय पालिका को कठिन स्थिति में डाल दिया है। हालांकि, ये रिपोर्ट सिफारिश करती है कि, संसदीय प्रजातंत्र की ओर फीजी की वापसी के तौर पर, अन्य क्षेत्रों में प्रस्तावित बदलावों के लिए कानून की उच भूमिका पर ज़ोर देने की कोशिश की जाए।

पुलिस फोर्स और कैदखानों की सेवा की फल साधना को सु धारना

आर्थिक और सामाजिक कारणों से, लोगों में ये विचार है कि कानून -व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ रही है, जिस पर पुलिस फोर्स और कैदखानों की सेवा नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को भी स्वीकार किया जाता है कि फीजी की विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा रूचि, जिस के सामने अन्तर्राष्ट्रीय अपराध और विश्वव्यापी आतंकवाद स सम्बन्धित खतरों को ले कर नई चूनौतियाँ हैं, के लिए और सख्त तथा असरकाकर संयोजना की ज़रूरत है।

पुलिस फोर्स और कैदखानों की सेवा के फल साधना को सुधारने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। एन सी बी बी एफ ने प्रस्ताव रखा है कि फीजी भर में कम से कम चार केन्द्रों में पुलिस फोर्स में रेपिड रेस्पोन्स युनिट्स् की स्थापना की जाए जो गम्भीर अपराधिक व्यवहारों पर काबू पा सकें ताकि सालाना तौर पर अपराध की दर में गिरावट हो सके। एन सी बी बी एफ ने यह भी सुझाव दिया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, जिनमें शामिल है बलात्कार, शील भंग करना, अश्लील हरकत और घरेलू हिंसा- को कम करने पर खास ध्यान दिया जाए तथा इन अपराधों से निपटने के लिए पुलिस स्टेशनों में खास संसाधनों की व्यवस्था की जाए। एन सी बी बी एफ मानता है कि अपराध के सभी मामलों के बारे में रिपोर्ट नहीं की जाती है तथा उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि एक सर्वेक्षण किया जाए जिस से कि फीजी भर में अपराध की असली दर और प्रवृति के बारे में पता लगाया जा सके। इस से अपराधिक मामलों के बारे में रिपोर्ट न करने की समस्या के असर को भी कम किया जा सकेगा।

फीजी भर में कोम्मयूनिटी पोलिसिंग को बढ़ाने के ज़रिये आपराधिक घटनाओं से बचने परज़्यादा ध्यान केन्द्रित करने की ज़रूरत है तथा अपराध से निपटने में समाज और प्रायवट सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमि

का को भी मान्यता देनी चाहिए। ऐसा एक राष्ट्रीय क्राएम प्रीवेन्शन बोर्ड की स्थापना करने के ज़रिये किया जा सकता है जिसमें आम जनता और प्रायवट सेक्टर की सदस्यता होगी, एवं आपराधिक घटना ओं को घटने से बचाने तथा सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ, जिन के कारण अपराध हो सकते हैं, से निपटने के लिएनीतियाँ लागू करने से भी ऐसा किया जा सकता है। प्रशिक्षण और अन्य सम्बन्धित कदमों के ज़रिये पुलिस फोर्स की छवि का पुन:निर्माण करने पर भी मुख्य तौर पर ध्यान देना चाहिए।

जहाँ तक कैदखानों की सेवा का सवाल है, एन सी बी बी एफ ने सिफारिश की है कि कैदखाने सुधारकार्य को प्राथमिकता दे तथा प्रीज़न्स एन्ड कोरेक्शन्स एक्ट के तहत मानवसंसाधनों का प्रयोग करें। प्रीज़न्स सेर्विस को वर्ष 2010 तक हर दिन कैदखानों की जनसंख्या को कम करने की ओर कार्य करना चाहिए, जबकि उन्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि को कैदी समाज के लिए खतरनाक हैं, उन्हें जेल में ही रखा जाए। इस कारण से, प्रीज़न्स सेवाओं को हाफ़-वए हाउज़स, समाज सेवा आदेश, सप्तांत में जेलकी सज़ा तथा पेरोल आदेशों का प्रयोग करना चाहिए ताकि कैद की सज़ा के स्तर को कम किया जा सके। प्रीज़न्स सेवाओं को पुन:सुधार योजनाओं और समाज सेवा आदेशों के ज़रिये रेसीडिवीज़म को कम करने के तरीकों को तलाशना चाहिए, तथा कैदियों की रिहाई के बाद उन्हें नौकरी प्रदान करने के मौकों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अब तो प्रीज़न्स सेर्विस के ज़रिये कोर्मेशल कियाओं को भी सुधारने के मौके हैं, जिस में शामिल हैबजट व्यवस्था, जिस के ज़रिये कुछ आमदनी की बचत की जा सकती है।

जवाबदेही

सब से असरकारक प्रणालियों वाली सरकार वो है जो लोगों के विश्वा स, भरोसे और आदर-सम्मान को कायम रख सके। इस तरह की

विश्वास तभी संस्थापित होती है जब पब्लिक अधिकारी (चुने हुए या नियुक्त किए गए) और जिस संस्था के वे हैं, अपनी कानूनी व प्रशासनिक भूमिका को कुशलता और असरकारक तरीके से निभाएँ तथा जो जवाबदेह हो।

फीजी के लिए गम्भीर उत्तरदायी खेतरें हैं क्योंकि पब्लिक अधिकारियों द्वारा अनाचार पर निरक्षण करने के लिए अप्रभावी तरीके हैं। ये भी विचारधारा है कि कुछ नेता और अधिकारीसज़ा न मिलने के कारण कार्य करते रहने में समर्थ होते हैं। फीजी में उत्तरदायी को सुधारने के लिए कई क्षेत्रों में कदम उठाने की ज़रूरत है। सब से प्रथम तो कि ये है कि संसद की स्पष्ट भूमिका को स्वीकार करना कि वो सरकार को उत्तरदायी ठहराता है।
भ्रष्टाचारी को खत्म करने के लिए जनता के सक्रिय समर्थन की भी आवश्यकता है। एन सी बी बी एफ ने प्रत्येक संस्थागत तरीकों का अध्ययन किया जो जवाबदेही को आश्वस्त करने के लिए ज़िम्मेदार है: इन में शामिल है संसद की पब्लिक अकाउन्ट्स कोमिटी, ओडिटा जेनेरल का दफतर, ओम्बड्स्मेन तथा फीजी इन्डीपेन्डन्ट कोमिशन अगेन्स्ट कोरप्शन (फाएकेक)। एन सी बी बी एफ ने इन संस्थाओं को अपना संचालन अच्छी तरह से करने के लिए सामर्थ्य, फल साधना और संसाधनों की व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। इन संस्थाओं के संचालन स्वतंत्रता को सख्त करने पर काफी गौर किया गया तथा साथ ही, इस बात को भी आश्वस्त किया कि वे अपने संचालन की क्षमता के प्रति उत्तरदायी रहे।

पारदर्शिता: फ्रीडम ओफ इन्फोर्मेशन एक्ट को प्रस्तुत करना

पारदर्शिता के बगैर जवादेही को कार्यरूप देना कठिन होता है। पब्लिक सेक्टर का कार्य जनता के निरक्षण के लिए और भी निष्कपट होना चाहिए। भले ही 1997 संविधान में एक कानून निर्धारित करने का अदेश था "ताकि जनता को अधिकार दिया जा सके कि वे सरकार और उसके एजेन्सियों के औपचारिक कागज़ात को देख सकें", अभी तक इस तरह के किसी कानून को अभी तक अधिनियम नहीं किया गया है। सूचना हासिल करने को अन्तर्राष्ट्रीये तौर पर प्रजातंत्र का आक्सीजन और एक मूल मानव अधिकार माना जाता है।

फ्रीडम ओफ इन्फोमेशन (एफ ओ आई) कानून प्रजातांत्रिक शासन के लिए फीजी के ढ़ांच को सुधारेगा। एक एफ ओ आई कानून प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जनता द्वारा भाग लेने क कार्य की अगुवाई करेगा तथा जनता की समझ, कि सरकार क्या कर रही है, को भी सुधारेगा। ये सरकार में निर्णय लेने के कार्य को सुधारेगा क्योंकि ये ज्ञान कि सभी निर्णयोंपर अच्छी तरह से गौर किया जाएगा, से ये सम्भावना बढ़ेगी कि सभी निर्णय अच्छी तरह से ओर न्याय संगत तरीके से बनाए जाए। एफ ओ आई कानून सरकार में रेकोर्ड रखने कीआदत को सुधारेगा ताकि और पारदर्शिता बरती जाए एवं भ्रष्ट कार्यों के मौकों को कम किया जाए। ये कानून किसी भी व्यक्ति, जिस पर लिए गए किसी निर्णय से असर पड़ा है और उनके पास कोई चिंता है, को मौका देगा कि वे यह जानने के लिए जानकारी हासिलकर सके कि ये निर्णय क्यों लिया गया था, और अगर ये निर्णय अनुचित व गैर कानूनी निकला, तो वे उसे चुनौती भी दे सकते हैं। ये कानून सरकार में नीति विकास औरसंयोजना में भी सुधार करेगा तथा ये मौके प्रदान करेगा कि सरकार को उसकी कार्यक्षमता के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।

पारदर्शिता के लिए पब्लिक सेक्टर में व्यवहारों में एक मूल बदलाव की भी ज़रूरत है-
गोपणीयता की परम्परा से हट कर जनता के जानने के अधिकार को पहचानना। स्पष्टता और निष्कपटता की नई संस्कृति जनता को प्रोत्सा हित करेगा कि वे एफ ओ आई कानून के तहत प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल कर के सरकार और पब्लिक सेक्टर संस्थाओं से सेवा प्रदान करने की स्तर और बेहतर कार्यक्षमता की माँग कर सकें। सरल में, ये सरकारसे उचकोटि की सेवाओं की माँग को प्रोत्साहित करता है जिसके फलस्वरूप लोगों क जीवन में भी सुधार नज़र आएँगे।

फ्रीडम ओफ इन्फोर्मेशन कानून में शामिल किए जाने वाले उपलब्धियों पर विस्तृत सिफारिशें अध्याय चार में है। एन सी बी बी एफ ने सिफारिश की है कि एक एफ ओ आईकानून को अधिनियम करना चाहिए तथा जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहिए।

अच्छे शासन और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने में समाचार माध्यम की भूमिका

इस बात का कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि एक स्वतंत्र और उत्साहित समाचार माध्यम एक प्रजातांत्रिक समाज के संचालन तथा अच्छे शासन को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य है।हालांकि, इस स्वतंत्रता के साथ आज़ादी जुड़ी है समान या बेलन्स्ड और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने की। एन सी बी बी एफ का मानना है कि मीडिया व्यवसाय के पत्रकारिता के पेशेवरस्तर के लिए स्वयं बन्दोबस्त की वर्तमान की व्यवस्था अप्रभावी है। एन सी बी बी एफ ने इस विचार को स्वीकृति दी कि मीडिया की स्वतंत्रता को किसी तरह से ठेंस पहुँचाए बिनाया हस्ताक्षेप किए बिना उसके उत्तरदायी को सुधारने के लिए एक कानून की ज़रूरत है। इस तरह के कानून में एक सख्त मीडिया काउँसल एवं इन्डीपेन्डन्ट ट्रायब्यूनल की

उपलब्धि भी होगी ताकि वे न सुलझाए गए शिकायतों से कुशलता और कार्य-साधन रीति से निपट सके। व्यवसाय में विविधता को बचा ने के लिए भी औपचारिक तरीकों को लागू करने के लिए कानून की ज़रूरत है तथा अन्तर्राष्ट्रीये स्तर के अनूकूल विदेशी मालिकाना हक के खिलाफ भी उपयुक्त प्रतिबन्ध लगाने चाहिए।

फीजी खुशकिस्मत है कि उसके समाचार माध्यमें बुरे शासन का साम ना करने या उनका खुलासा करने में डरती नहीं है। प्रेत्येक समाचार माध्यम प्रकाशन या प्रसारण में आलोचक,रूखे, और कभी कभी विव ादास्पद होने के लिए तैयार रहे हैं, जब भी उन्होंने इस की ज़रूरत स मझी। फीजी की वर्तमान परिस्थितियों में, जहाँ उसके जनसंख्या के ज़ यादा लोग उस समय से ज्यादा गरीब हैं जितना वे आज़ादी के समय थे, बदलाव के लिए समर्थन, जिस से कि देश राष्ट्रीय विकास के सा थ आगे बढ़ सके, ज़रूरी है। समाचार माध्यमों को इस में एक मुख्य भूमिका निभानी है। समाचार माध्यमों के लिए इन मामलों में शामिल होने का यह मतलब नहीं है कि वे अपनी स्वतंत्रता का पतन कर दे। उन्हें संशयात्मक और आलोचनात्मक रहना चाहिए लेकिन इस के साथ ही देश के विकास के लिए जो जनताके हित में हो, उन को बढ़ावा देने के प्रति वचनबद्ध रहना चाहिए। ये सब उन्हें बेलन्स्ड न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए।

अध्याय पाँच: सामाजिक न्याय, गरीबी को मिटाना, समाज सेवा तथा मानव अधिकार

अच्छे शासन के मुख्य लक्ष्यों में से एक है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो गरीबी से मुक्त हो, जहाँ सभी की मूल ज़रूरतों की पूर्ती हो सके और सभी को सामाजिक न्याय मिल सके। सामाजिक न्याय, गरीबी को मिटाने तथा विकास के प्रति आधिकारों पर आधारित तरीकों के सम्बन्ध में फीजी की मुख्य समस्याओं का सामना करना

फीजी की दृष्टि को हासिल करने तथा मानव आत्म सम्मान और देश के उन लोगों के लिए जो गरीबऔर कम खुशनसीब हैं, के लिए समान मौकों को पुन:संचित करना महत्वपूर्ण है।

सामाजिक न्याय और गरीबी को मिटाना

पिछले दो दशकों से फीजी में बहुत से सामाजिक सूचक बिगड़ चुके हैं। इन सूचकों में शामिल है ह्यूमन डिलोप्मेन्ट इन्डेक्स (एइच डी आ ई), गरीबी में रहने वाले लोग, मातृत्व और बच्चों की मत्यु संख्या की दर, तथा प्रायमरी स्कूल में दखिला।

एइच डी आई एक देश में शिक्षा स्वास्थय और आमदनी की सन्तुष्ट असर को हासिल करने में प्रगति को आँकने का तरीका है, जिसे व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाता है। फीजी रैंकिंग 1975 में बया लीसवाँ था लेकिन 1997 में ये गिर कर इकसठ हो गया था। 1990 के दशक के अंतिम सालों में इसकी स्थिति में और गिरावट हुई थी। 2005 यू एन डी पी एइच डी आई के मुताबिक, फीजी वर्तमान समय में 177 देशों में से 92 स्थान पर है। सामुआ और तोंगा-जिन के पायदान 1970 में फीजी के समान थे- हाल के कुछ सालों में फी जी से बेहतर था। 2005 में सामुआ की रैंकिंग 77 थी जबकि तोंगा की रैंकिंग 55 थी।फीजी के संविधान अफेमेटिव एक्शन प्लेन (अई अई पी) को कार्यरूप देने के लिए कानूनी औचित्य और ढ़ांचा प्रदान करता है, जिसे सभी दल और श्रेणी के लोगों के लिए, जो कम खुश नसीब हैं, (अ) शिक्षा और प्रशिक्षण, (b) ज़मीन और घरों की व्यवस्था (c) राष्ट्र की सेवा के सभी स्तर और व्यापार में भाग लेने के लिए प्रभावी समान प्रवेश मिल सके।

मुख्य सामाजिक न्याय मामलों में सामाजिक न्यान और अफेमेटिव एक्शन कार्यक्रमों के लिए नैतिक ढ़ाचे की कमी, 2001 के सोशल जस्टिस एक्ट की कानूनियता और अई अई पी, तथा कार्यक्षमता सूच

कों के विकास और बद्लाव की ज़रूरत है तथा वर्तमान की मोनिटरिंग तरीकों को मज़बूत करना।

सामाजिक न्याय का लक्ष्य होना चाहिए आत्म सम्मान में समानता को आश्वस्त करना, खास कर वे लोग, जो न अपनी किसी भूल के ज़रिये कम खुशनसीब और गरीब हैं। उसे यह भी आश्वस्त करना चाहिए कि सभी के पास आत्म सम्मान का जीवन व्यतीत करन और खुशहाल ज़िन्दगी बिताने का समान अधिकार हो तथा किसी के जीवन में मूल ज़रूरतों की कमी न हो। एन सी बी बी एफ ने सिफारिश की है कि फीजी की आम भलाई के लिए एक संगठित, न्याय संगत व करूणाम य नैतिक दृष्टि अई अई पी का नीव होना चाहिए। सामाजिक न्याय कानून और नीतियाँ संविधान के मुख्य सिद्धांतों के अनूकूल होने चाहिए। अई अई पी को निर्धारित करने, कार्यरूप देने, उस पर नज़र रखने तथा मूल्यांकन करने की प्रकिया और प्रणाली असरकारक, पार दर्शी व जवाबदेह होने की ज़रूरत है।

बीते सालों में गरीबी को मिटाने के हित में कई नीतियों और योजनाओं को कार्यरूप दिया गया है। हालांकि, ये कोशिश गरीबी को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुख्य विषय जो गरीबी को कम न कर पाने में योगदान दे रहे थे में शामिल है आर्थिक विकास म कमी; राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी; राजनीतिक अस्थिरता; आथि ‘कसंसाधनों, बाज़ार व सामाजिक सेवाओं को न हासिल कर पाने की कमी; अप्रभावी कोडिनेशन, कार्यान्वयन औरमोनिट्रिंग; तथा सरकार, पायवट सेक्टर और असैनिक समाजमें सभी साझेदारों द्वारा संगठित रूप से भाग लेने में कमी। आमदनी कमाने, पुन:वितरन वगरीबी को कम करने के लिए धारणीय आर्थिक विकास एक ज़रूरत है। एन सी बी बी एफ ने सिफारिश की ह कि गरीबी को मिटाने की सरकार की नीतियाँ और योजनाएँ को मज़बूतकरना ताकि नगर पालिकाओं, प्रांतिये काउँसल्स और एद्वाईज़री काउँसल्स द्वारा नागरिकों को लक्ष्य किया जा सके; गरीब से गरीब बच्चों को मदद करने के लिए वर्तमान की

संस्थाओं और कार्यक्रमों को मज़बूत करना, एक नेशनल मिनीमम वईज को कार्यरूप देना,गरीबी को मिटाने के लिए प्रायवट सेक्टर को प्रोत्साहित करना; सरकार-आम समाज हिस्सेदारी को बढ़ाना; कोडिनेशन, कार्यान्वयन तथा मोनिट्रिंग, एवं पोवेटी के आँकड़ों को समय पर तैयार करना।

गरीबी को कम करना कई सालों से चुनी गई सरकारों की मुख्य नीति लक्ष्य रही है। गरीबी को मिटाना परस्पर डेवे़लोप्मेन्ट प्लेन और नीतियों तथा राष्ट्रीये बजट घोषणा में शामिल किए गए हैं। गरीबी को मिटाना सभी डेवे़लोप्मेन्ट पार्टनस और मिलेनियम डेवे़लोप्मेन्ट गौल्स (एम डी जी) का मुख्य लक्ष्य है।

गरीबी का कोई आम या औपचारिक तौर पर स्वीकार किया गया अर्थ नहीं है। आमदनी की गरीबी को यह तो पूर्णतया या तुलनात्मक नज़रिये से देखा जाता है। पूर्णतया गरीबी वोहै जब कोई व्यक्ति या परिवार भोजन, कपड़ों, घर, स्वास्थय और शिक्षा की मूल ज़रूरतों की पूर्ती करने में असमर्थ होता है। निस्सहाय होना, पूर्णतया गरीबी की अत्यन्त प्रारूप है, गरीबों से भी गरीब। जिन लोगों की आमदनी उनके मूल ज़रूरतों की पूर्ती करने के लिए पर्याप्त है लेकिन वे "औसत" या "सामान्य" से नीचे हैं तो वे तुलनात्मक गरीबी अनुभव करते हैं।

"मौकों" और "प्रवेश" की गरीबी को भी आज कल समाज में आमदनी की गरीबी की नज़र से देखा जाता है अक्सर जो परिस्थिति और हालात मौकों की गरीबी में वृद्धि करते हैं,वे ही आमदनी की गरीबी के कारण होते हैं।

अपने विचार-विमर्श में एन सी बी बी एफ ने देखा कि मूल ज़रूरतों की गरीबी की अनुमानित रेखा प्रति घराना प्रति सप्ताह 1977 में $28.45 से बढ़ कर 1990 में $83.00 हो गया था तथा 2002 में ये $132 था। एन सी बी बी एफ ने देखा कि देश में गरीबी की

गिरती हुई स्थिति (2002 में 35 प्रतिशत) के स्पष्ट सबूत दिख रहे थे तथा अभी हाल के सालों में कोई महत्वपूर्ण सुधार के संकेत नहीं मिले हैं।

फीजी अब भी आमदनी में गहरी असमानताओं वाला देश है। 2002-2003 अईच आई ई एस दर्शाता है कि गरीब घरानों के बीस प्रतिशत को राष्ट्रीय आमदनी का 5.9 प्रतिशत मिलता था जबकि अमीर घरानों के बीस प्रतिशत को राष्ट्रीये आमदनी का 47.9 प्रतिशत मिलता था।

मूल ज़रूरतों की पूर्ती करना: घरों की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थय

एन सी बी बी एफ ने मुख्य विषयों पर गौर किया जो घरों की व्यवस था, स्वास्थय और शिक्षा पर असर करते हैं। सदस्यों ने देखा कि मूल सोशियो-इकोनोमिक सूचकों की स्थितिबिगड़ रही है- जिन में शामिल है स्वास्थय, गिरती हुई स्वास्थय इन्फ्रस्ट्रक्चा, बुरे हालात मेंजी वन बिताना और झोपड़-पट्टियों की बढ़ती संख्या। कुछ हद तक इस का नकारात्मक असर अनिवार्य शिक्षा नीति के फल साधन पर भी पड़ रहा है, जो प्रायमरी और सेकेन्ड्री स्कूलों की पढ़ाई न समाप्त करने वाले विद्यार्थियों से और बिगड़ती है।

घरों की व्यवस्था

घरों की व्यवस्था करने की फीजी की समस्या वास्तविक व सर्वव्यापी है: जबकि दो सौ झोपड़-पट्टियों में 387000 लोग हर साल $7000 से कम वेतन कमाते हैं, लगभग नौ सौ कम और औसत वेतन कमाने वाले घरानों को तुरन्त अच्छी, सुरक्षित व वाजिद कीमत के घरों की आवश्यकता है। इन ज़रूरतों की पूर्ती करने के लिए, मिलीजुली-आमदनी कमाने वालों के लिए घरों की व्यवस्था, जो पड़ोसि

यों और आसपास के इलाकों में व्यापक आमदनी विविधता प्रदान कर ती है, एक आवश्यक सामाजिक व आर्थिक लक्ष्य है।

हालांकि, ज़मीन का इस्तेमाल कर के ग्रामीण इलाकों की स्थिति और शहरी इलाकों के प्रवास को कम करने सम्बन्धित योजना को ले कर कुछ चिंताएँ हैं। सरकारें लोगों को सफलता हासिल करने के लिए पर्या प्त ज़मीन प्रदान करने तथा सस्टेनेबल समाजों का निमार्ण करने के लिए घरों को बनाने में असमर्थ रही है। सस्टेनेबल हाउसिंग योजनाएँ और आमदनी कमाने के मौके एक दूसरे से मेल खाने चाहिए। वर्तमान समय में फीजी के पासकोई एम्प्लोयमेन्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। नौकरी की व्यवस्था करने के लिए नीति साथ में और ज़मीन की उपलब्धि, ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी की स्थिति तथा शहरी प्रवासन की समस्या, दोनों, को सुलझाने में मदद कर सकती है।

झोपड़-पट्टि की समस्या का समाधान करने के लिए तुरन्त कदम उठाने की ज़रूरत है, जो कि शहरी इलाकों में महत्वपूर्ण ज़मीन को विकसित करने में मुख्य बाधा बन रही है। झोपड़-पट्टियों में रहने वाले बहुत से लोग “व़ाकाव़नुआ” ज़मीन पर रहते हैं, जो उन्हें तीस से पचास सालों पहले दिया गया था। ज़मीन मालिकों को मौका दिया जाना चाहिए किवे अपनी ज़मीन को विकसित कर के उसे सुविधाजन क हाउसिंग इलाकों में तबदील कर सकें। ऐसा करने के लिए आर्थिक कमी एक मुख्य समस्या है। जल्द पैसे हासिल करने केलिए ज़मीन मालिकों ने फीजी भर में “व़ाकाव़नुआ” लीस प्रदान किया है।

एन सी बी बी एफ ने सुझाव दिया कि ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही सभी के लिए घर बनाए लेकिन वे घरों को बनाने के लिए ज़मीन की व्यवस्था कर सकते हैं। तथा साथ ही इस बात पर ध्यान दे कि कम से कम हाउसिंग स्तर बरकरार रहे।

फीजी में हाउसिंग नीतियों और मामलों के लिए परस्पर, सम्पूर्ण तथा

विचार विमर्श जारी रखने की सख्त ज़रूरत है। अन्तरएजेन्सी कोडिनेशन ज़रूरी है ताकि वाजिद खर्च में घरों की व्यवस्था हो सके तथा हाउसिंग भेदभाव को मिटाया जा सके।

एक बहुसांस्कृतिक और अनेकत्व समाज के लिए प्रोत्साहन देना भी आवश्यक है: बहुसांस्कृति सस्टेनेबल समाजों का एक हिस्सा है। कोई भी परिवर्तनशील कोशिश को गिरजाघरों, मस्जिदों और मन्दिरों तथा साथ ही खेल-कूद और मनोरंजन प्रदान करन वालों स्थल के लिए स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए।

शिक्षा

काफी संख्या में विद्यार्थी पढ़ाई खत्म करे बगैर ही स्कूलों से निकल जाए, एक महत्वपूर्ण समस्या है जबकि ये गरीबी को बढ़ावा देने का एक कारण है। बदले में, गरीबी इस देश के सोशियो-इकोनोमिक विकास पर बहुत बुरा असर करता है। अपने जीवनस्तर को सुधारने के लिए सीमित हुनर और ज्ञान, जल्द स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थी बेरोज़गार लोगों की संख्या में वृद्धि करते हैं तथा इसी के फलस्वरूप वे बहुत से शहरी इलाकों में अपराध और हिंसा की बढ़ती समस्या में योगदान देते हैं।

पेरेन्टल शिक्षा पर सामाजिक कार्यशालाओं की आयोजना करने की ज़रूरत है ताकि शिक्षा के प्रति समाज के विचारों को बदला जा सके, माता-पिताओं का समर्थन हासिल किया जासके, "ड्रोपआउट" दर को कम किया जा सके तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार लाया जा सके।ग्रामीण इलाकों तथा समाजों में शिक्षा के लिए एक सहयोगात्मक मोडल की संस्थापना करना इस कोशिश की एक अहम पहलू है तथा संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के ज़रिये सामाजिक छात्रवृति के लिए आर्थिक व्यवस्था करना।

जो विद्यार्थी टेर्शरी शिक्षा तक नहीं पहुँचते हैं, उनके लिए पाठ्यक्रम उचित नहीं है। इसी वजह से सेकेन्ड्री स्कूलों में शिक्षा की मोर्डूला प्रणाली को शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी कई विषयों पर शिक्षा हासिल करने के साथ साथ अपने हुनर को भी विकसित कर सकें।

स्पेशलिस्ट पाठशालाओं का निर्माण करने तथा स्पेशलिस्ट्स को प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया, खास कर विज्ञान, इन्जीनियरिंग, तकनीक और कृषि क्षेत्र में। एन सी बी बी एफ पूरी तरह से नए नेशनल करीक्लम ढ़ांचे तथा टेक्नीकल एवं वोकेशनल हुनर को मज़बूत करने का समर्थन करता है तथा एर्ली चाइल्डहूड से फोर्म 7 तक लाइफ स्किल्स् या हुनर को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

एन सी बी बी एफ ने शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के तरीकों पर भी विचार किया ताकि कम वेतन कमाने वालों और ग्रामीण इलाकों के पाठशालाओं को सहायता प्रदान की जा सके। इन पाठशालाओं को आर्थिक सहायता का थोड़ा ज़्यादा हिस्सा दिया जाए ताकि पाठशालाएँ इमारत को बरकरार रख सकें, संसाधनों की पूर्ती कर सकें और फीस् भर सके।

एक संगठित और बहुसांस्कृतिक फीजी का निमार्ण करने वाले मामले पर सिफारिशें की गईंकि पड़ोसी स्कूलों, उनके संचालकों एवं कर्मचारियों में एकता लाई जाए तथा एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और धर्म का अध्ययन किया जाए।

एक संगठित और बहुसांस्कृतिक समाज का निमार्ण करने के लिए जातीये संकेत देने वाले पाठशालाओं के नाम, जैसे कि "फीजीअन" और "इन्डियन/भारतीय", को भी मिटाना बहुतआवश्यक है।

स्वास्थय

स्वास्थय सेक्टर की क्षमता को तुरन्त सुधारने के लिए, एक हेल्थ पोलिसी कोमिशन की स्थापना करने की सिफारिश की गई है, जो पब्लिक होस्पिटल्स एक्ट के प्रशासन पर नज़र रखेगा तथा स्ट्रेटिजिक निर्देशन देगा कि छोटे, मध्य और लम्बे अरसे में कैस स्वास्थय सेवाओं का संचालन किया जाए। कोमिशन में उच सामाजिक प्रतिनिधियों, उचित मंत्रालयों के अधिकारियों, तथा गैर-सरकारी साझेदार, जैसे f क शिक्षक, डाक्टर, समर्थक और उपभोकताओं को शामिल किया ज ाएगा। (इसी तरह की प्रतिनिधित्व डिव़ीशनल तथा सब-डिव़ीशनल अस पताल बोर्ड्स में भी लागू होना चाहिए और उनके स्पष्ट टेम्स ओफ रेफ्रेन्स होंगे।)

स्वास्थय सेक्टर के लिए और आर्थिक व्यवस्था करने की आवश्यकता है तथा “इस्तेमाल करने वाला कीमत चुकाएगा” के तरीके से आमद नी कमाने की राजनीतिज्ञ आलोचना करतेरहे हैं। एन सी बी बी एफ ये सिफारिश करने पर सहमत हुआ कि सरकार सभी गैर- ज़रूरत मेडिकल फ़ीस में वृद्धि करे तथा स्वास्थय सेवा के लिए आर्थिक व्यवस था के अन्य तरीकों को तुरन्त लागू करें, जैसे कि सामाजिक स्वास्थय बीमा स्कीम के ज़रिये रिस्क पूलिंग।

खर्चों को कम करने के लिए एन सी बी बी एफ ने यह भी सिफारिश की कि अस्पताल की गैर-तकनीकी सेवाओं, जैसे कि कपड़े धाने के कार्य, सुरक्षा, मरम्मतकार्य और सफाइ सेवाओं को आउटसोर्स करना। जड़ी-बूटी सम्बन्धि दवाईयों के इस्तेमाल को भी दवाखानों के खर्चों को कम करने में अहम माना जाता है।

स्वास्थय सेक्टर के पेशेवर लोगों का प्रवासन तो अब अन्तर्राष्ट्रीये स्थिति है। इसे आकर्षितकरने और असन्तुष्टिकरण के कई कारण हैं: जबकि इसे आकर्षित करने वाले कारणों के बारे में कुछ खास

नहीं किया जा सकता है तो वहीं असन्तुष्टिकरण कारणों को कम कर नेपर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इस के लिए नौकरी करने के लिए एक ऐसा वातावरण चाहिए जो सुविधाजनक, सुरक्षित, समर्थक, हितकर और लाभप्रद हो।

कोम्म्यूनिकबल और नोन-कोम्म्यूनिकबल बीमारियों (सी डी और एन सी डी)की बढ़ती घटनाओं के विषय में भी गहरी चिंता व्यक्त की गई । एन सी बी बी एफ ने ठोस रूप से सिफारिश की कि जबकि सेवा प्रदान करने में सुधार लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो वहीं समाजों को भी अपने स्वास्थय को सुधारने की ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। बाज़ारों में बिक रहे भोजन की कोटि, खास कर "फास्ट" फूड, को भी एन सी डी का एक मुख्यकारण माना जाता है। ठोस नियंत्रण की ज़रूरत है तथा लोग जो कुछ का सेवन करते हैं और उनका क्या असर उनके स्वास्थ पर पड़ेगा, के बारे में जागृति लाने की आवश्यकता है।

विकास की ओर अधिकार-आधारित मूल्य लगाना

मानव अधिकारों को बचाने और बढ़ावा देने के लिए फीजी के पास एक हितकारी कानूनी और संस्थागत वातावरण है और सरकार मानव अधिकार को बचाने के प्रति वचनबद्ध है। हालांकि, इस क्षेत्र में और प्रगति करने की ओर कई आर्थिक, सोशियो-इकोनोमिक, राजनीतिक और कानूनी चुनौतियाँ हैं-जिनमें शामिल हैं: वैधानिक बदलाव की ज़रूरत; सांस्कृतिक आदर्शों को मानव अधिकारों के साथ जोड़ना; जातीय सम्बन्धों को सुधारना; तथा फीजी ह्यूमन राईट्स कोमिशन के फल साधना को बढ़ाना। इस सन्दर्भ में एन सी बीबी एफ ने सिफारिश की है कि सरकार को प्रभावी जातीय विरूद्ध भेदभाव कान ून को निर्धारित करना और अधिनियम करना चाहिए, सभी अन्तर्राष्ट्री ये मानव अधिकार संधि को प्रमाणित करना; क्रीमिनल जस्टिस संस्था ओं में मानव अधिकार मामलों को सामान्य करना; सांस्कृतिक आदश

ों और आदतों को मानव अधिकार के आदर्शों के साथ जोड़ना; मानव अधिकार पर शिक्षा और जागृति को ठोस करना; जातीय सम्बन्धों में सुधार करना तथा एफ अईच आर सी के फल साधना को सुधारना व बढ़ाना।

जातीय सम्बन्धों को मेल-मिलाप कार्यक्रमों, धार्मिक वार्ताओं और वैधानिक बदलाव क द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। ये ज़रूरी है कि अल्पसंख्यक अधिकारों के संकल्पना या कोन्सेप्ट पर स्पष्टीकरण प्रदान की जाए तथा इस का इस्तेमाल कर के विभिन्न दलों के विशिष्ट ज़रूरतों की पूर्ती की जाए, जिनमें शामिल है महिलाएँ, बच्चे और युवा लोग।

फीजी ह्यूमन राईट्स कोमिशन की फल साधना को सुधारा जा सकता है अगर उस ने जल्द से जल्द उचित समय में आई सी सी में अपने मान्यता को दोबारा हासिल कर लिया। अभी हाल ही में सम्पूर्ण किए गए हेन्डली (2002), होसकिंग (2004) तथा ड्वेया (2006) स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का एन सी बी बी एफ समर्थन करता है।

अध्याय छ: आर्थिक विकास

नौकरी करना गरीबी से निकलने का सब से चटपटा तरीका है लेकिन जितने विद्यार्थी हर साल स्कूली पढ़ाई खत्म कर के निलकते हैं देश की अर्थ व्यवस्था उनके लिए नौकरी उपलब्ध करने में असमर्थ हुई है, गरीबी को कम करने के लिए अतिरिक्त नौकरियो का प्रबन्ध करना तो बहुत दूर की बात है।

हाल के दशकों में फीजी की गिरती हुई अर्थ व्यवस्था के लिए कई कारण हैं। परस्पर राजनीतिक अस्थिरता, खास कर सत्ता पलटाव के चलते, अन्तर-साम्प्रादायि हिंसा की घटनाएँ, विश्वास में कमी तथा

अपराध की दर में वृद्धि ने देश की आर्थिक समस्याओ को बढ़ा दिया है। स्थानिय और विदेशी पूँजीपति स्थिरता और आश्वासन चाहते हैं क्य ोंकि ये उनके पूंजी सम्बन्धि फैसलों से जुड़े खतरों को कम करता है। राजनीतिक अस्थिरता से पूँजीपति भयभीत हो जाते हैं। ये, बदले में, कई कारणों में से एक है कि क्यों फीजी की आर्थिक विकास दर इत नी कम है: स्कूली पढ़ाई छोड़ रहे कई विद्यार्थियों और नौकरी की तल ाश कर रहे बेरोज़गार लोगों के लिए नई नौकरियाँ उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त केपिटल पूँजी नहीं है।

उत्पादकता में सुधार लाना (यने कि, कम खर्च में ज़्यादा उत्पादित करना) वृद्धि प्रक्रिया के लिए अहम है। फीजी में उर्त्पदकता में सुधार नहीं हो रहा है। अगर पूँजी दर ज़्यादा हो तो उत्पादकता में वृद्धि करना आसान हो सकता है। लेकिन हाल के सालों म पूँजी की दर, जी डी पी का चौदाह से सोलह प्रतिशत हिस्सा, 1970 में बाइस प्रतिशत का तथा 1987 सत्ता पलटाव से पहले पच्चीस प्रति शत के औसत स्तर से बहुत कम रही है।

स्वतंत्रता के बाद से फीजी में आर्थिक विकास की दर लम्बे अरसे से गिर रही है तथा गिरावट की दर तेज़ हो रही है। इस स्थिति की झलक वास्तविक आमदनी में गिरावट,लोगों को नौकरियों से घर भेजना तथा वेतन में कटौती से मिलती है।

टेबल एक: फीजी की आर्थिक विकास, 1970-2007

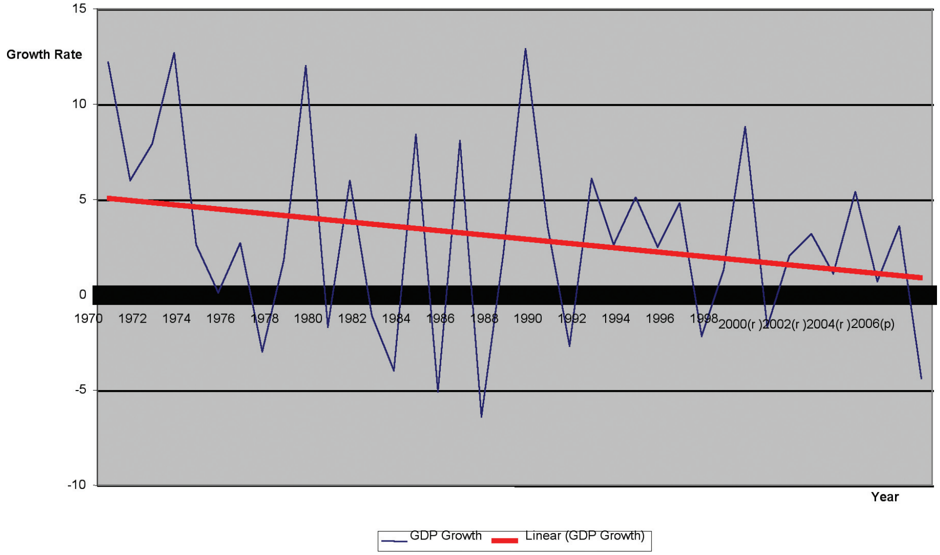

अन्य कारण भी हैं जिन की वजह से आर्थिक वृद्धि की गति कमज़ोर हुई है। इन अन्य कारणों में शामिल है लीस वाली ज़मीन से सम्बन्धित सम्मपति के अधिकारों की समस्या, इन्फ्रस्ट्रक्चा में पूँजी की कमी, कुछ क्षेत्रों में असंगत और अपरस्पर नीतियाँ तथा व्यापार के लिए कमज़ोर कानूनी वातावरण। इन में से कई मामले अर्थ व्यवस्था में सर कार की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। कई लोगों के विचार में सरकार देश में अत्यन्त प्रबल है, मतलब कि, अगर वे ठोस आर्थिक विकास, व्यापक समानता और सस्टेनेबिलीटी हासिल करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें अपनी भूमिका पर पुण: विचार करना चाहिए।

सरकार, प्रायवट सेक्टर और आम समाज की भूमिका पर स्प ष्टीकरण

इन तीन “शासन के क्षेत्रों” में से प्रत्येक के पास विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए तुलनात्मक फायदे हैं क्योंकि हर एक क्षेत्र के अलग अलग संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं। हर एक को उन विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, जिन में वे माहिर हैं।

अर्थ व्यवस्था में सरकार को सब से पहले पब्लिक सामानों की उपलब्धियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि इस सेवा को कोई और नहीं प्रदान कर सकता है। ये स्पष्ट ह कि वर्तमान समय में मूल सुवि धाओं जैसे कि पानी, मल-व्यवस्था, बिजली, संचारन, और अन्य इन्फ्र स्ट्रक्चा (जैसे कि रास्तें, बंदरगाह और हवाई अड्डे) की माँगों की पूर्ती सन्तुष्ट रूप से नहीं की जाती है। खास कर, जो लोग दर-दराज़ के ग्रामीण इलाकों और बाहरी द्वीपों में रहते हैं, कम खुशकिस्मत हैं तथा जहाँ तक इन्फ्रस्ट्रक्चा, हुनर के विकास तथा आर्थिक सेवाओं के प्रवेश का सवाल है, तो उन पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है।

सरकार को उन कारणों पर भी गौर करना चाहिए कि क्यों बाज़ार हमे शा काम नहीं करते हैं और/या कैसे बाज़ार तरीकों को सुधारा जा सक ता है। अगर बाज़ार की असफलताओं कीसमस्या को सुलझा लिया गया तो अन्य प्रकार की सरकारी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उच स्तरिये बन्दोबस्त ट्रान्सेक्शन खर्च को कम कर सकते हैं। सरका र को खुद को उन संस्थाओं से अलग करने पर गम्भीरता से गौर करना चाहिए जिन का संचालन प्रायवट क्षेत्र और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इनकी बिक्री से इकट्ठा किए जाने वालेपैसों को स्वास्थय, शिक्षा, इन्फ्रस्ट्रक्चा और पूँजी के क्षेत्र में इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार को केवल उन्हीं पब्लिक सामानों में पूँजी को बढ़ाना चाहिए जो सिर्फ सरकार ही प्रदान कर सकती है और जो उन्हें ही प्रदान करना चाहिए।

मेक्रोइकोनोमिक स्थिरता को बरकरार रखना भी सरकार की अहम भूमिका है क्योंकि ये आर्थिक स्थिति के अनुमान को बढ़ाता है तथा व्यक्तिगत और व्यापारिक खतरे को कमकरने में मदद् करता है। फिस्कल डिसिप्लीन को कायम रखने के लिए, एन सी बी बी एफ एक नई "फिस्कल नीति" को अपनाने की सिफारिश कर रहा है: कि सरकारी खर्च के लिए अतिरिक्त कर्ज़ लेने की स्वीकृति तब ही देने चाहिए अगर इस से सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। एन सी बी बी एफ ने सिफारिश की है कि फिस्कल ज़िम्मेदारी (जो फीजी के फाएनेन्शल मेनेजमेन्ट एक्ट में शामिल हैं) को सरकार के अनूकूल काम करना। एन सी बी बी एफ बहस करता है कि सरकार को एक प्रगतिशील लेकिन सरल कर प्रणाली को बरकरार रखना चाहिए, जो पूँजी को बढ़ावा दे् सके। व्यापारिक स्वतंत्रता और भी बेहतर होता अगर व्यापारों के पास विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीये वित्तीय बाज़ार में और भी चमकदार वित्तीय उत्पादनों के प्रति पूरी और स्वतंत्र प्रवेश के मौके होते। वर्तमान की विदेशी मुद्रा नियंत्रण कानून ऐसा नहीं होने देता है। हालांकि, वर्तमान की मोनेट्री और एक्सचेन्ज रैट रेजीम को निकट भविष्य में नहीं बदला जा सकता है। बदलाव तभी हो सकते हैंअगर फीजी ने ठोस आर्थिक मूलों को पुन:संचित कर लिया एवं और भी गहरे वित्तीये बाज़ार को विकसित किया। फिलहाल, राष्ट्रीय कोशिश जैसे कि नेशनल एक्सपोट स्ट्रेटिजी और शिक्षा को बढ़ावा देना, दोनों औपचारिक और अनौपचारिक, को और मज़बूत बनाना चाहिए ताकि देश के बेलन्स ओफ पैमेन्ट का समर्थन करने में मदद हो सके।सरकार की ज़िम्मेदार है सम्पति अधिकार को बचाना और उनका विशेष विवरण तथा समान आमदनी वितरन को कायम रखना और ये आश्वस्त करना कि सभी मूल सेवाएँ प्राप्त कर सकें। उसे लिंग समानता एवं अन्य मूल मानव अधिकारों को बरकरार रखने काआश्वासन देना चाहिए।

प्रायवट सेक्टर की भूमिका है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लक्ष्य से व्यापारिक व व्यवसायिक कार्यों में शामिल होना तथा साथ

ही, उत्पादक रोज़गार के ज़रिये नौकरी और आमदनी प्रदान करना ताकि लोग अपने जीवन स्तर में सुधार कर सके। ये प्रक्रिया विशेषता तथा बाज़ारों को बढ़ाने के ज़रिये सफल होगी-जिस में शामिल है अर्थ व्यवस्था को बाहरी व्यापार तथा पूँजी के लिए खोलना। व्यापारियों को एक सामर्थ्य व्यापारिक वातावरण की ज़रूरत है, जिसमें शामिलहै:

1. मेक्रोइकोनोमिक स्थिरता- क्योंकि अर्थिक वातावरण के अनु मान को बढ़ाने स व्यक्तिगत एवं व्यापार खतरों में गिरावट होती है;

2. एक कानूनी वातावरण को कानूनी अवधियों को लागू करे और व्यापारियों को मौका दे कि उन्हें अपने व्यापार का सफल संचालने करने के लिए जिन सम्पतियों की ज़रूरत हो, वे उन्हें हासिल कर सकें। (फीजी में अन्य चीज़ों के साथ साथ, इसके लिए रेजिस्ट्रीज़ को कोम्प्यूटराईज़ करने की ज़रूरत है।); एवं

3. स्थिर कर कानून को ये आश्वस्त करना कि मुनाफे अन्याय संगत तौर पर बरामद न किए जाए।

आम समाज संस्थाओं की सख्त नेटवोर्क समाज की क्षमताओं को मज़बूत करता है। एक देश जहाँ मज़बूत आम समाज संस्थाएँ होती हैं, जल्द आर्थिक और सामाजिक विकास को उत्तेजित करते हैं और काय म करते हैं। आम समाज संस्थाएँ सरकार और प्रायवट सेक्टर की ताकत को चेक्स् और बेलन्सस् भी प्रदान करती हैं; उनकी एक मुख्य भूमिका है जानकारी इकट्ठा करना और लोगों तक पहुँचाना लेकिन कोई ऐसा नहीं कर रहा है; वे कमज़ोर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और बेआवाज़ लोगों के विचारो को आवाज़ देते हैं; तथा गिरज ाघर और अन्य धार्मिक संस्थाओं की मुख्य भूमिका है सांस्कृतिक और

धार्मिक आदर्शो तथा विश्वास को बचाना एवं मज़बूत करना।

आम समाज संस्थाओं को भी सामर्थ्य वातावरण की आवश्यकता है जोउन्हें स्वतंत्र रूप सेसंचालन करने का मौका दे। इस के लिए कानून और नीतियों की ज़रूरत है जो स्वतंत्र सम्बन्ध, निर्णय लेने में गैर सर कारी संस्थाओं का एक सहमत तरीका और लिए गए फैसले को कार्य रूप देना; तथा सरकार और प्रायवट सेक्टर से वित्तीय सहयोग।

बहुत सी स्थितियाँ हैं जहाँ सीमित संसाधनों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है अगरतीन मुख्य सेक्टस-सरकार, प्रायवट सेक्टर और असैनिक समाज- एक साथ मिल कर कार्य करें और सेवा प्रदान करें। एन सी बी बी एफ पब्लिक-प्रायवट हिस्सेदारी को कार्यरूप देने की कोशिश का समर्थन करता है, जिस पर सरकार गौर कर रही है तथावे सरकार एवं आम समाज संस्थाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि वे सरकारी सेवाओं के रूपाकार और प्रदान करने के तरीकों पर मिल कर काम करें।

एन सी बी बी एफ ने चिंता के साथ इस पर गौर किया कि फीजी के वातावारण में धीरे धीरे गिरावट हो रही है। एक स्तर पर ये वाता वरण विभाग के समक्ष ठोस चुनौती प्रस्तुत करता है, जो अब 2005 एनवाएरेमेन्ट मेनेजमेन्ट एक्ट को कार्यरूप दे रहा है। यहाँ पर एक उचित कदम होगा वातावरण विभाग को एक स्वतंत्र सरकारी संस्था में तबदील करनाताकि उसके संचालन और क्षमता को मज़बूत किया जा सके। एक स्तर पर, हालांकि, य सिर्फ सरकार के लिए एक समस या नहीं है- ये फीजी के सभी नागरिकों के लिए एक समस्या है और सभी को एक साथ मिल कर फीजी के वातावरण को भविष्य की पीढ़ी के लिए बचाना चाहिए।

संसाधन-प्रधान सेक्टरों का विकास

मिनेरल पानी को छोड़ कर, संसाधन प्रधान (आर बी)सेक्टरों की क ार्यक्षमता के निरक्षण दर्शाते हैं कि एक दशक से ये सेक्टर अपनी क्षमता के आधार पर काम नहीं कर रहा था।इस सेक्टर पर बुरे संचाल न, सरकार की ओर से अपरस्पर और कम समर्थन, इन्फ्रस्ट्रक्चामें क मी और विकास करने के लिए पैसों की व्यवस्था कर पाने में मुसीबत के कारण असर पड़ा है। इसके अतिरिक्त, संस्थागत वातावरण को मरम्मत की ज़रूरत है ताकि उसे आधुनिक व्यापारिक आदतों के अनु रूप बनाया जा सके, संसाधन सस्टेनेबिलिटी को बचाएऔर आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सके।

इस विश्व में, आर बी सेक्टर ज़रूरतमन्द बदलावों के अनुकूल बनने में बहुत धीमे हैं। चीनी व्यवसाय इस का पुराना उदाहरण है जिस में बदलाव के जो जो कदम जिन्हें बहुत पहले कार्यरूप दिया जाना चाहि ए था, को अब लागू किया जा रहा है। अन्य कृषि सेक्टरों के लिए मुख्य चुनौती है पारम्परिक व्यवहारों से निपटना और ये दर्शाना कि किसानी से महत्वपूर्ण आमदनी कमाई जा सकती है। इस चुनौती के लिए आधुनिक मुनाफेप्रद कृषि तरीकों पर जागृति को बढ़ाना। इसी से सम्बन्धित है व्यापार मेनेजमेन्ट तरीकों पर जागृति लाना क्योंकि ये हर स्तर पर किसानी से सम्बन्ति है।

आर बी सेक्टरों के कार्यों में सरकार की भूमिका ने भी वर्तमान की दुर्दशा में योगदान दिया है। अग्रीकल्चरल मार्केटिंग अथोरिटी (अई एम आर) जैसी संस्थाओं के ज़रिये सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को बेचने के लिए बाज़ार तलाशना ने अन्यायिक तौर पर प्रायवट सेक्टर को उस के बाज़ार में कमज़ोर कर दिया है। दूसरी ओर मछली व्यवसाय के बढ़ते हुए संचालन खर्च में सरकार की ओर से कम योगदान स व्यवसाय ठप्प हो सकती है। सरकार की ओर से और सकिये रूप से माईनिंग क्षेत्र में शामिल होने से, इस व्यवसाय में जान डाली

जा सकती है। एक अतिरिक्त क्षेत्र, जिस म सरकार के समर्थन क ीकमी देखी गई है, वो है मावन संसाधन विकास और वे़ल्यू-एडिंग को बढ़ावा देना।

इन सभी समस्याओं से बढ़ कर, ज़मीन मालिक अपने संसाधनों के विकास में और बेहतर तौर पर शामिल होने की माँग कर रहे हैं। इसी लिए इस ओर सस्टेनेबल तरीकों को विकसित करने की सख्त आवश्यकता है। इस विकास को आदिवासी ज़मीन के प्रशासन से शुरू करना चाहिए। ज़मीन को उत्पादन का एक कारण मान कर, ये ज़रूरी है कि कार्यकुशल तरीके हों जो ज़मीन को इस्तमाल करने वाले काबिल लोगों के लिए उपलब्ध करे,जो ज़मीन के इस्तेमाल के लिए बाज़ार द्वारा तय कीमत चुकाए न कि प्रशासनिक और वैधानिक दर के आधार पर।

इन चुनौतियों के बावजूद भी, एन सी बी बी एफ ने सर्वसम्मति से स्पष्ट किया कि स्तर सामाजिक नैतिक को बरकरार रखने से अर्थ व्यवस्था की स्थिति और गिरेगी। इस प्रथा से निकलने के लिए सुधारवादी तरीकों और मज़बूत राजनीतिक इरादों की ज़रूरत है कि प्रतिष्ठापित राजनीति और आर्थिक स्थितियों से दूर जा जाए।

एन सी बी बी एफ ने निम्नलिखित पन्द्राह सिफारिशों को स्वीकृति दी:

1. चीनी व्यवसाय का संचालन प्रेरणादायक तौर पर होना चाहिए, जो कि गन्ने की कोटि पयमेन्ट प्रणाली की प्रस्तुति से शुरू होगा।

2. सरकार को तुरन्त कदम उठाना चाहिए कि वे मंत्रालयों को पैसे दें जिनका समर्थन उचित इन्सेनटिव् से हो, तथा गैर-चीनीकृषि सेक्टर एवं व्यवसायों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।

3. सरकार को उस भेदभाव से पूर्ण व्यवहारों पर पुण:गौर करना चाहिए जिस क तहत केवल स्थानिय फिशिंग व्यवसाय पर कर लागू किए जाते हैं जबकि विदेशी जहाज़ इस तरह के कि सी भी आरोपण के तहत संचालन नहीं करते हैं।

4. सरकार को स्थानिये पूंजीपतियों और व्यापारियों के प्रति समान रवैये को अपनाना चाहिए तथा विदेशी पूंजीपतियों को दिए जाने वाले ग्रान्ट और छूट में निष्पक्ष रहना चाहिए।

5. नल्टा ढ़ांचे के तहत सभी कृषि ज़मीन के प्रशासन के लिए एक आम विधि को स्वीकार करना (इस में आदिवासी, क्राउन और फ्रीहौल्ड ज़मीन के प्रबन्ध को शामिल करना); अल्टा के किसी भी योग्यात्मक पहलू को बरकरार रखना चाहिए।

6. लीसों की अवधि में और भी लचीलेपन को आश्वस्त करना ताकि वे सेक्टर विशिष्ट हो और प्रत्येक सेक्टर के अपूर्ण ज़रूर तों पर भी ध्यान दे।

7. एन एल टी बी (सरकार के साथ हिस्सेदारी में) एक कशिश को कार्यरूप देना चाहिए जिस के तहत गाँवों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे रिज़ेर्व के तहत लीस न की कई अपने ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल करे। सरकार को उ चित इन्फ्रस्ट्रक्चा, जैसे कि रास्तों के ज़रिये समर्थन प्रदान करना चाहिए।

8. नेशनल लेन्ड रेजिस्टर की स्थापना करनी चाहिए जिसमें फीजी की सभी ज़मीनों पर जानकारी शामिल की जाए। इस रेजिस्ट को एक महत्वपूर्ण प्रबन्ध और योजना बनाने के औज़ार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदों पर आधारित ज़मीन की व्यवस्था करने की ओर समाधान निकाला जा सके।

9. 2002 में सरकार द्वारा स्वीकार की गई नेशनल लेन्ड यूज़ पोलिसी के लिए वैधानिक बेकिन्ग प्रदान करनी चाहिए।

10. सरकार को ठोस रूप से प्रायवट सेक्टर के लिए सामर्थ्य वातावरण का निर्माण करने पर ध्यान देना चाहिए।

11. माईनिंग सेक्टर के लिए लम्बे अरसे के लिए नीति या "रोडमेप" निर्धारित करना चाहिए, जिसके अन्तर्गत सरकार इस क्षेत्रमें और सक्रिये भूमिका निभा सके।

12. मिनीरेल रिसोर्स विभाग के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए (खास कर तकनीकी क्षमता के लिए) ताकि वो माईनिंग सेक्टर के विकास का समर्थन करने की अपनी भूमिका को असरकारक तरीके से सुलझा सके।

13. माईनिंग एक्ट रिव़्यू को अत्यावश्यकता से सम्पूर्ण करना चाहिए।

14. इकोनोमिक सेक्टर मंत्रालयों को केन्द्रिये एजेन्सियों (खास कर वित्तीय मंत्रालय), जो कि फाएनेन्शल मेनेजमेन्ट एक्ट 2004 और अन्य पी एस सी गाइडलाइन्स् के तहत संचालित होती हैं- के साथ एक गठा हुआ समझौता करना चाहिए। इस क ज़रिये लचीली सीमाओं को निर्धारित किए जा सकते हैं जिन में इकोनोमिक सेक्टर मिनीस्ट्रीस मुख्य प्रगतिशील योजनाओं के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं।

15. नेशनल प्लेनिंग दफतर को संसाधनों की व्यवस्था सम्बन्धित निर्णयों को बनाने में और सक्रिये रूप से शामिल होना चाहिए । ये फिर इस बात को आश्वस्त करेगा कि आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धि निर्णय राष्ट्रीय विकास ज़रूरतों द्वारा पथप्रदर्शक हो न कि एक अकाउन्टिंग फैसले द्वारा।

वित्तीय सेर्विसस सेक्टर का विकास

अच्छी तरह संचालित फाएनेन्शल सेर्विसस सेक्टर सस्टईन्ड आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खास कर के फीजी जैसे छोटे अर्थ व्यवस्था के लिए। एन सी बी बी एफ ने निश्चित किया कि वित्तीये सेक्टर वृद्धि का समर्थन करने और वास्तविक क्षेत्र में गरीबी को कम करने में सक्षम है। क्योंकि अर्थ व्यवस्था में जो तेज़ वृद्धि, जिस की आशा की गई थी, साकार नहीं हुआ है तो इस के लिए वित्तीये सेवा सेक्टर से उत्पन्न हो रही मूल समस्याएँ ज़िम्मेदार नहीं है। ये राजनीति क अस्थिरता का कार्य है जिस ने अविश्वास और भय का माहौल उत्पन्न कर दिया है। इस के साथ ही, इसके लिए पब्लिक पोलिसी में अन्य खामियाँ, जैसे कि अपरस्पर व असंगत नीतियाँ, इन्फस्ट्रक्चा में पूँजी में कमी, सम्पति के अधिकारों की समस्या और व्यापार के लिए एक कमज़ोर कानूनी वातावरण ज़िम्मेदार है।

हालांकि, वित्तीय सेक्टर के विभिन्न भागों की कार्यक्षमता और विकास की सम्बन्धित स्थिति में अन्तर है। बेन्कों द्वारा विश्वस्तरीय बेन्किंग से वा प्रदान की जाती है। दूसरी ओर बोन्ड मार्केट- जो कि एक चमकदा र फाएनेन्शल सिस्टम के लिए एक मूल नीव है- को अच्छी तरह से विकसित नहीं किया गया है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एफ एन पी एफ की पूँजी पोर्टफोलियो और उनके पूँजी को विविध कर ने के लिए मेनेजमेन्ट की वर्तमान की व्यवस्थाओं में बदलाव करने की आवश्यकता है। ये कदम ज़रूरी है ताकि सरकारी बोन्ड्स के लिए असरकारक सेकेन्ड्री मार्केट को बढ़ावा दिया जा सके। ये इस सेक्टर में बदलाव की उत्तम प्राथमिकता है।

बोन्ड् मार्केट के और असरकारक संचालन में सुधार भी और आसान होंगे अगर फाएनेन्स मंत्रालय ने बोन्ड् निलामी के लिए सालाना प्रोग्राम का प्रकाशन किया। इसके बदले में वित्तीये मंत्रालय की समर्थता कि वे अपने केश फ्लोस् का अनुमान लगाए तथा रिज़ेर्व बेन्क की

समर्थता कि लिक्वीडिटी शर्तों का अनुमान लगाए, में सुधार की ज़रूरत होगी।एकसालाना प्रोग्राम बाज़ार को तैयारी करने और पूँजीपतियों को पैसे बगल करने के लिए वक्त देगा। ये प्रोग्राम आश्वस्त करेगा कि सरकारी बोन्ड् विषयों का व्यापक तौर पर प्रचार हो तथा छोटे पूँजीपर्ति तयों को बोन्ड्स खरीदने का मौका मिले।

इसके अतिरिक्त, एन सी बी बी एफ सहमत है कि केपिटल मार्केट की वृद्धि में और सुधारहोगा अगर सरकार स्टोक एक्सचेन्ज पर पब्लि क एन्टाप्राईसेज़ की सूची देने के सिद्धांत कीओर प्रतिबद्ध हुई।

एन सी बी बी एफ इस से भी सहमत है कि सेवा-निवृत्त व्यवसाय को डीरेगूलेट करना चाहिए तथा उन्होंने यह भी देखा कि रिज़ेर्व बेन्क ने विभिन्न तरीकों से, जिस के ज़रिये डीरेगूलेशन किया जा सकता है, पर एक अध्ययन को प्रारम्भ किया है।

एन सी बी बी एफ इस पर भी सहमत हुआ कि केपिटल मार्केट्स पर निगराने रखने के लिए केपिटल मार्केट्स डेवेलोप्मेनट अथोरिटी (सी एम डी अई) की भूमिका पर फिर से गौर किया जाए ताकि किसी विष य को ले कर कोन्फ्लिक्ट ओफ इन्ट्रस्ट न हो, जो अथोरिटी की जवा बदेही के साथ समझौता करे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अथोरिटी अपना नाम बदल दे, जिस से कि एक सुरक्षा कोमिशन होने के हैसियत से उस के नाम से उस की भूमिका की झलक मिल सके।

जबकि वर्तमान समय में रिज़ेर्व बेन्क द्वारा बेन्कों और अन्य संस्थाओं पर पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं एन सी बी बी एफ केडिट युनियनों तथा अन्य नोन-रेगूलेटेड संस्थाओं की निगरानी की अपर्याप्त व्यवस्था से चिंतित है। पर्याप्त निगरानी व्यवस्था नोन-रेगूलेटेड संस्थाओं के लिए ज़रूरी है। निगरानी कार्य में शामिल सभी एजेन्सियों के लिए और पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था की आवश्यकत है।

माएको, छोटे तथा मीडियम एन्टाप्राईस विकास एवं ग्रामीण इलाकों व स्कूल बेन्किंग कोशिश, तथा वर्तमान के कोर्मेशल बेन्कों द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए एक स्ट्रेटेजिक निर्देश पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। इस तरह की सभी एन्टाप्राईज़स को अपनी ज़रूरतों के मुताबित वित्तीय सेवा प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए तथा हमारी जनसंख्या में बचत करने की आदत डालनी चाहिए। मुख्य विषय, जैसे बचत, पूँजी लगाना और बेन्किंग को दोनों- प्रायमेरी और सेकेन्ड्री स्कूलों- के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए।

अन्त में, एन सी बी बी एफ ने और कार्यों की सिफारिश की ताकि आश्वस्त किया जा सकेकि उपभोक्ताओं को बचाने और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर गौर करने के लिए उपयुक्त तरीके हों।

अध्याय सात: संस्थागत तथा पब्लिक सेक्टर रिफोर्म

जबकि एक समय फीजी के पर्बलिक सेक्टर को अच्छी तरह संचालित, समर्थ, वचनबद्ध और परिश्रमी कहा जाता था, तो वहीं आज ये उस से बहुत कम है। चार सत्ता पलटावों काअसर, शासन में व्यापक कमज़ोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, तथा प्रवासन के कारण हुनरशील लोगों का देश से चले जाना तथा भ्रष्टाचारी ने पब्लिक सेक्टर की कुशलता, क्षमता, स्वतंत्रता और व्यवसायिकता को काफी कमज़ोर कर दिया है।

जब तक कि पब्लिक सेक्टर पुन:निर्माण न कर ले और जनता को सेवा प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को न पा ले, ये पीपल्स चार्टर के लिए बहुत ही कठिन होगा, फीजी के लोगों की इच्छा के दर्पन के हैसियत से, कि वो असरकारक और कुशलता स लागू हो। इसीलिए पब्लिक सेक्टर और संस्थागत बदलाव फीजी के लिए अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण है।

बहुत से मुख्य विषय हैं जो वर्तमान के पब्लिक सेक्टर के कार्यक्षमता पर असर कर रहे हैं जिन का समाधान करने की ज़रूरत है ताकि पब्लिक सेक्टर सरकार को मदद कर सके कि वो फीजी के लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। पहला विषय है पब्लिक सेक्टर के कार्य को सार्वजनिक निरक्षण के लिए खुले रूप से प्रस्तुत करने के ज़रिये उस को और पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाने की ज़रूरत। फ्रीडम ओफ इन्फोर्मेशन लौ का अधिनियम (जैसा कि अध्याय चार में विचार किया गया है) इस सम्बन्ध में बहुत ही आवश्यक है।

दूसरा है, पब्लिक सेक्टर में सेवा प्रदान करने की बिगड़ती स्थिति को सुलझाना चाहिए। एन सी बी बी एफ का कहना है कि कमज़ोर सेर्विस डिलीव्री- चाहे वो स्वास्थय, रास्तों, पानी, बिजली, केन्द्र सरकार, बाहरी द्वीपों में या कहीं भी हो -राष्ट्रीय विकास में एक गम्भीर रूकावट है और ये नकारात्मक तौर पर फीजी के कई लोगों पर असर कर रहा है, खास कर के गरीब और कमज़ोर लोगों पर। एन सी बी बी एफ माँग कर रहा है कि इस क्षेत्र में सबसे स्थायी समस्याओं का सामना करने के लिए मुख्य बदलाव किए जाए तथा ये आश्वस्त किया जाए कि पूरे पब्लिक सेक्टर में एक नई सेर्विस संस्कृति को लागू कियाजाए।

पन्द्राह सालों के पब्लिक सेक्टर बदलाव (पी एस आर) के बावजूद भी, कार्यक्षमता पर बदलाव के किसी भी लम्बे असर को पहचानना कठिन है। फीजी को इक्कीसवी सदी के पब्लिक सेक्टर के लिए एक नई दृष्टि को विकसित करने की ज़रूरत है जहाँ मंत्रालयों और एजेन्सियों को पीपल्स चार्टर के लक्ष्यों को हासिल करने के हिसाब से बदला जाए तथा जिसमें पब्लिक सेक्टर की व्यवसायिकता और स्वतंत्रता को पुन:संचित किया जाए। ये दृष्टि विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी कर्मचारियों की भूमिकाओं पर स्पष्टीकरण चाहता है तथा योग्यता के आधार पर नियुक्तियों में राजनीतिक को नहीं शामिल करना चाहता है।

भविष्य की पी एस आर की योजना अच्छी तरह बनाई जानी चाहिए, संसाधनों की व्यवस्था,प्रधान मत्री और उनके दफतर द्वारा अगुवाई होनी चाहिए। सही आकार, क्षमता-निर्माण, मानव संसाधन विकास योजना, और सरकारी सेवा के ढ़ांचे में बदलाव करना तथा वित्तीय मेनेजमेन्ट में और सुधार को ले कर स्पष्ट सिफारिशें की गई हैं। पब्लिक एन्टाप्राईस के ढ़ांचे में बदलाव में तेज़ी लाने के भी प्रस्ताव दिए गए हैं, तथा पब्लिक सेक्टर के आकारऔर खर्च में गिरावट।

एन सी बी बी एफ ने यह भी ध्यान दिया कि नीति बनाने की प्रक्रिया को सुधारने के लिएक्या किया जा सकता है ताकि पीपल्स चार्टर को कार्यरूप देने के लिए ज़रूरी योजना औरनीति कार्य असरकारक तरीके से किया जाए। एन सी बी बी एफ ने यह भी सिफारिश की है कि नीति बनाने की क्षमता में सुधार लाया जाए; पर्बलिक सेक्टर में विकसित हो रहे नीतियों में फीजी के लोगों को भी कुछ कहने का मौका दिया जाए; तथा नीति कोडिनेशन में सुधार करना ताकि सरकार के सभी हिस्से और प्रभावी तरीके से मिल कर काम करें।

एन सी बी बी एफ ने आदिवासी संस्थाओं की कार्यक्षमता पर भी पुन: विचार किया, जिन्हें अच्छे शासन की उपलब्धि और आदिवासी लोगों के कल्याण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई हैं। एन सी बी बी एफ ने निश्चित किया कि आदिवासी लोगों की मदद करने के लिए महत्वपूर्ण बदला वों की आवश्यकता है ताकि वे आधुनिक, बाज़ार-आधारित अर्थ व्यवस्था में भाग ले सकें और उस से फायदा उठा सकें; साथ ही वे शासन के ट्रीक स्तरों को मिला कर एक करने से भी लाभ उठा सकें; बदलाव के लिए साझा दृष्टि का निर्माण करना; कल्पणिक नेतागिरी को बढ़ाना; तथा आदिवासी संस्थाओं में एक नई कियात्मक नमूने को परिवर्तित करना जो कि नियंत्रण के बारे में कम और प्रोत्साहन व सामर्थ्य-निर्माण के बारे में ज़्यादा हो। इन बदलावों के तहत कुछ संस्थाओं को नइ भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को सम्भालन ा होगा- वे भूमिकाएँ जिन्हें निभाने की माँग उन से फीजीअन अफेयस

एक्ट में की गई है। एन सी बी बी एफ का मानना है कि सब से मूल तरकीब, जो आदिवासियों के जीवन को सुधार सकता है, वो है ज़मीन- कि जबकि उनका मालिका हक संविधान में प्रतिष्ठापित हैं और ऐसे ही बने रहना चाहिए, इस मुख्य राष्ट्रीय संसाधन के उत्पादक इस्तेमाल से होने वाले फायदों को बढ़ाने की आवश्यकता है।इस सन्दर्भ में एन एल टी बी को और भी प्रभावी
भूमिका निभाने की ज़रूरत है।

अध्याय आठ: फीजी में असरकारक नेतागिरी

पिछले पृष्ठों में फीजी का सामना कर रही बदलाव विषय सूची का सारांश दिया गया है। ये स्पष्ट है कि अच्छे शासन को पुण: संचित करने के लिए, "सत्ता पलटाव संस्कृति" कोखत्म करने के लिए, राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय रूचि पर नई सहमति हासिल करने, आर्थिक विकास, गरीबी को मिटाने के लिए तथा सम्बन्धित विषयों से निपटने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। ये कोई आसान काम नहीं है: इस के लिए कई सालों तक निरन्तर प्रयत्न लगेंगे। कौन इन सभी कोर्यों को आयोजित करेंगे और जो लोग इस म शामिल होंगे, उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए कौन प्रोत्साहित करेंगे?

ये फीजी के नेताओं की भूमिका है, न सिर्फ राजनीतिज्ञों बल्कि पूरे देश में प्रारम्परिक, आम सामाज के नेता, धार्मिक, सामाजिक, पेशेवर और व्यापारिक नेता। नेतागिरी ही वो "चमत्कारी" सामान है जो कई अलग अलग लोगों के विविध हुनर को एक करता है; ये सभी देश के भविष्य के लिए सपने संजोए हुए हैं जो उन्हें प्रोत्साहित करता है, शक्ति देताहै ताकि वे इस सपने को साकार करने की ओर कार्य करें।

नेतागिरी कई स्तरों पर होता है, दोनों सरकार में और सरकार के बाहर। पब्लिक नेतागिरी भूमिकाओं में शामिल है राजनीतिक स्तर, प्राय

वट सेक्टर, असैनिक समाज व गिरजाघर और धार्मिक संस्थाएँ, तथा अन्य स्तरों की भी नेतागिरी-जिस में शामिल है सामाजिक स्तर पर पारम्परिक सामन्तिये नेतागिरी।

जहाँ तक सवाल है कि हमारे नेता कैसे फीजी को आगे ले जाने में योगदान देंगे तो फीजी इस समय दो-राहें पर है। भले ही अब कोई स्पष्ट स्वीकार्य विचार नहीं है कि फीजी के समाज में नेताओं का व्यव हार कैसा होना चाहिए, नेतागिरी की फल साधना उस समाज के हर स तर में महत्वपूर्ण है।

एन सी बी बी एफ का मानना है कि राष्ट्रीये स्तर पर राजनीतिक नेतागिरी फीजी की वास्तविक कमज़ोरी का एक क्षेत्र है। अब समय है एक ऐसे नेतागिरी मोडल को विकसित करने का, जो राष्ट्र की रूचि यों को अपने रूचियों या किसी एक समाज की रूचियों से पहले रखें। हमें पीपल्स चार्टर के ज़रिये एक राष्ट्रीय दृष्टि को संस्थापित करने की ज़रूरतहै और राष्ट्रीय एकता का निर्माण करने की ओर कार्य करना चाहिए। बीते दिनों में फीजी में नेतागिरी का तरीका ट्रान्सेक्शनल किस्म का रहा है, मतलब कि "मेरे लिए इस में क्या है?" फीजी को बेसबरी से ट्रान्सफोर्मेशनल किस्म के नेतागिरी की आवश्यकता है-समाज के व्यवहारों में बदलाव लाना और पीपल्स चार्टर के प्रतिनिधित्व के ज़रिये फीजी को एक नई दिशा की ओर ले जाना।

ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आम लोगों के जीवन पर नेतागिरी का असर सब से ज़्यादा स्थानिये स्तर पर पड़ता है, जहाँ लोग परिवारों या समाजों की तरह रहते हैं। महिलाओं कीनेतागिरी भूमिका पर भी खास ध्यान देना चाहिए। जबकि नेतागिरी के तरीकों में बदलाव व्यवहारों में बदलाव पर निर्भर है, तो वहीं ऐसे कार्रवाई है जिस के ज़रिय इस बदलाव कोप्रोत्साहित किया जा सकता है। सार्वजनिक शिक्षा इस का हिस्सा होना चाहिए। उच सरकारीदफतरों को सम्भालने वालों, जिन में केन्द्र सरकारी दफतर के अधिकारी भी शामिल हैं,

के लिए आचार संहिता की सख्त ज़रूरत है (जैसा कि संविधान में माँग की गई है)। वार्तालाप और तरीकें, जो अच्छे नेतागिरी को प्रोत्साहित करते हैं, पर भी और विचार करना चाहिए।

समाज के सभी स्तरों में नेताओं को तीन अलग अलग हुनर में माहिर होना चाहिए। पहला, जो कार्य उन्हें करना है, उस के बारे में उनके पास स्पष्ट सज्ञान समझ होना चाहिए। वे जो दृष्टि और लक्ष्य हासिल करते हैं, उन पर उन्हें अच्छीतरह से सोच विचार करना चाहिए तथा उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि जिन नीतियों को वे बढ़ावा दे रहे हैं, वो एक दूसरे के अनुरूप तथा वास्तविक हो। एक नेता क्या कर सकता है, उन को ले कर वादा करने के ज़रिये तथा जो उन से वादा किया गया था, वो करने के ज़रिये नेता अपने सत्यनिष्ठा को बरकरार रखता है।

दूसरा, एक नेता को अच्छा मेनेजर होना चाहिए। नेताओं को जानना चाहिए कि कैसे पैस इकट्ठा किए जा सकते हैं, पैसों और संसाधनों का बन्दोबस्त करना और लोगों को मेनेज करना जानना चाहिए। गाँधी और मार्टिन लूथा किंग जिन मूव़मेन्ट्स की अगुवाई कर रहे थे,उन्होंने उन का संचालन करने में काफी वक्त बिताया।

तीसरा, एक नेता को उस तरह का बर्ताव करना चाहिए, जैसा कि एक नेता को करने की ज़रूरत है। ये दोनों नेतागिरी के इस सन्दर्भ के नैतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। अपने समर्थकों को आकर्षित करने तथा उन्हें अपने साथ शामिल रखने के लिए, एक नेता को उनका विश्वास हासिल करने और उसे कायम रखने में समर्थ होना चाहिए। एक नेता को हमेशा व्यक्तिगत ईमानदारी बरकरार रखना चाहिए। तथा क्योंकि ये आशा की जाती है किएक नेता हमेशा पहल
जाएगा, नेता को किसी और से पहले खुले रूप से अपना विचार व्यक्त कर देना चाहिए।

क्योंकि कार्य विषय सूची इतनी लम्बी होती है, फीजी में एक नेता को जानना चाहिए कि वो कैसे अपने कार्य को प्राथमिकता दे और अपने लिए भी वक्त निकाल सके। जब सब कुछ एक साथ हासिल करना नामुमकिन हो जाता है, तो अपने कार्यों को प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि एक दूसरे के खिलाफ लक्ष्य को बराबर करे और कई क्षेत्रों में कुछ न कुछ ज़रूर हासिल करना। जो नेता राजनीतिक वातावरण में कार्य कर रहा है, उनके लिए ये सीखना ज़रूरी होगा कि वे लोगों की आशा ओं के मुताबिक कैसे कार्य करें। लक्ष्य निर्धारित करना जो अभिलाषा से परिपूर्ण लेकिन वास्तविक हो तथा लक्ष्य जो महत्वाकांक्षी हो लेकिन वास्तविक नहीं के बीच सही बराबरी पर पहुँचना, शायद सब से कठिन चुनौती हो।

अध्याय नौ: विश्वस्तरीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सुधार लाना

अंतर्राष्ट्रीये समाज में फीजी का शामिल होना बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि हम बहुतछोटे और मुख्य व्यापारिक हिस्सेदारों से अलग हैं। फीजी की इस स्थिति पर 1987 की सत्ता पलटावों के कारण काफी दबाव पड़े हैं।

पाँच दिसेम्बर 2006 से, फीजी के सम्बन्ध उनके द्वीपक्षिये और बहुर्पा क्षये हिस्सेदारों के साथ काफी दबाव में है। फीजी के सम्बन्ध कुछ कुछ पड़ोसी देशों के साथ अब भी तनावपूर्ण है, तथा रूकावटें जैसे कि सफर सम्बन्धि प्रतिबन्ध लागू करने से फीजी की कोशिश कि विश वास को पुन:संचित किया जाए, पूँजी के क्षेत्र में नई जान डाली जाए तथा देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार लाई जाए, बहुत ही कठिन साबि त हो रहे हैं। ये स्थिति नकारात्मक विश्वस्तरीय विकास, जैसे कि फ्यूल के दाम में वद्धि तथा भोजन सप्लाई में कमी, के कारण और बिगड़ रही है। सामान्य सम्बन्धों को जारी करने के लिए संसदीय

प्रजातंत्र की वापसी करना आवश्यक है। इसीलिए फीजी को जल्द अत्यावश्यकता और फुर्तीलेपन से आगे बढ़ना है ताकि आम चुनाव प्रणालीमें ज़रूरतमन्द बदलावों को कार्यरूप दिया जा सके, जिस से कि जितना जल्द हो सके आम चुनाव किए जाए। इसी लिए निम्नलिखि त कदमों के ज़रिये, अन्तर्राष्ट्रीये परिवार के साथ हमारे सम्बन्धों को सुधारने की सख्त ज़रूरत हैं।

फीजी के लिए पहली चुनौती है खोए हुए अपने मान को पुन:हासिल करना। सरकार की विदेश नीतियों को अन्तर्राष्ट्रीये परिवार के साथ हमारे सम्बन्धों को पुन:जारी करने की प्रतिबद्धता पर गौर करना चाहि ए। ऐसा देश में प्रजातंत्र की वापसी तथा अन्तर्राष्ट्रीये वार्ताओंमें शामिल होने, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की उपलब्धियों का सम्मान करना तथा सभी को फायदा होने वाले द्वीपक्षिये और बहुपक्षिये कूटनीतिक सम्बन्धों को बढ़ावा देने के ज़रिय किया जा सकता है।

बहुपक्षिये और द्वीपक्षिये एन्गेजमेन्ट के लिए, विश्वस्तरीये अर्थ व्यवस्थाके साथ एकीकरणको बढ़ावा देना एक अहम हिस्सा है। एक छोटे द्वीप की अर्थ व्यवस्थाम जो आसानी से प्राकृतिक विपत्तियों के चपेट में आ जाते हैं, फीजी के लिए यह ज़रूरी है कि वे अन्य देशोंके साथ व्यापार को बढ़ाए और उपलब्ध सहायता से फायदा उठाए। इस के अतिरिक्त, बढ़ते हुए व्यापार समझौते, जिस के अनुकूल फीजी को होना चाहिए,फीजी को कुछ हाउसकीपिंग करने की ज़रूरत है ताकि वो प्रभावी रूप से अपने द्वीपक्षिये और बहु पक्षिये हिस्सेदारों के साथ शामिल हो सके। विकसित बहुपक्षिये और द्वीपक्षिय हिस्सेदारों के साथ कुछ उपलब्ध सहायता को वर्तमान समय फीजी में इस्तेमाल नहीं कि याजाता है।

दानी देशों से व्यापार के बदले सहायता के लिए प्रवेश को सुधारने की आवश्यकता है ताकिफीजी को अपने व्यापार क्षमता और इन्फ्रस्ट्रक्चा में सुधार करने में मदद मिल सके औरवो व्यापार से फायदा उठा

सके। बहुत से "व्यापार के बदले सहायता" दान देशों द्वारा द्वीपक्षिये , बहुपक्षिये, क्षेत्रीय फाएनेन्स और परिवर्तनशील संस्थाएँ जैसे कि विश्व बेन्क के ज़रिये दी जाती है।

फीजी के विदेशी मिशन्स को फीजी के लिए मौके तलाशने में सकिये भूमिका निभानी चाहिए तथा फीजी को विदेशों को मज़दूर सप्लाई कर ने के मौके ढूँढ़ना चाहिए। ये कई प्राथमिक क्षेत्रों में से एक है क्योंकि फीजी रिमिटन्स से फायदा उठा रहा है।

जहाँ तक प्रभानी एन्गेजमेन्ट का सवाल है, तो विश्व व्यापार वातावरण बहुत ही कठिन होचुका है। ये कठिनाईयाँ उन देशों के लिए काफी स्पष्ट है जो डब्लू टी ओ के सदस्य हैं। संस्था की कई नीतियाँ, ज़िम्मे दारियाँ, प्रकिया और विचार-विमर्श दल हैं, लेकिन सब पर किसी न किसी तरह से असर पड़ता है। इस बढ़ती कठिनाई के फलस्वरूप विश्व अर्थ व्यवस्था में भाग लेने के खर्चों में भी वृद्धि हो रही है, खास कर जहाँ तक मानव और वित्तीय संसाधनों का सवाल है। फीजी के लिए ये उस स्तर तक बढ़ रहा है जहाँ बढ़तेखर्चों के खतरें हैं कि इस में भाग लेने का खर्च सम्भावित फायदों से ज़्यादा होगा।

क्वरन्टीन प्रोटोकोल, कस्ट्म्स, बंदरगाह और प्रवासन के क्षेत्र में व्यापार फे़सीलिटेशन को मज़बूत करने की ज़रूरत है। व्यापार, व यापार वार्ताओं और पूँजी के क्षेत्र में काम कर चुके लोगों को रिक्रू ट करने की आवश्यकता है ताकि वे फीजी के विदेशी मिशन्स् में सेवा प्रदान कर सकें।

हमारे बोर्डर नियंत्रण को बढ़ाना ज़रूरी है, खास कर जब कि आतंकवाद इस क्षेत्र के लिएभी मुख्य खतरा है। जबकि इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि क्षेत्र में आतंकवाद या आतंकवादी संस्थाएँ शा मिल हैं, तो वहीं प्रशान्तिये वातावरण में ऐसे हरकत हो सकते हैं। इस की सम्भावना और बढ़ सकती है अगर क्षेत्र ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय

बोर्डर को सख्त नहीं किया जबकि अन्य देशों ने अपने बोर्डर पर सख्त नियंत्रण लागू किया है।

आज़ादी के समय से, फीजी के दरवाज़े अन्य राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध कायम करने के लिएखुले हैं, खास कर बाहरी दुनिया के साथ व्यापार और कूटनीतिक सम्बन्ध संस्थापित करने के लिए। हालांकि, तब से जब कि ग्लोबलाईज़ेशन और व्यापार स्वतंत्रता बढ़ रहे हैं, फीजी परिवर्तन और बदलाव को स्वीकार करने में बहुत धीमा था। इसी कारण से देश ने कई मौकों और फायदे को गँवाया है।

अध्याय दस: कार्यान्वयन और निगरानी रखना

अध्याय दस में पीपल्स चार्टर के कार्यान्वयन और निगरानी रखने के फ्रेमवोर्क पर प्रकाश डाला जाएगा। असरकारक कार्यान्वयन ज़रूरी है ताकि पीपल्स चार्टर में लोगों की महत्वकांक्षा को हकीकत में बदला जा सके और ठोस परिणाम हासिल किए जा सके। य मानी हुई बात है कि कार्यान्वयन के साथ साथ उपयुक्त मोट्रिंग तरीके का भी होना आवश्यक है ताकि मुख्य परिणाम क्षेत्र कोडिनेटेड और वक्त पर हासिल किए जा सक तथा जैसे और जब ज़रूरत पड़े, तो सधारकार्य के लिए कदम उठाए जा सके।

जैसा कि इस के निर्माण के दौरान हुआ था, पीपल्स चार्टर का कार्यान्वयन भी एक साझा ज़िम्मेदारी होगी। इस में फीजी के लोग, सरकार, प्रायवट सेक्टर, मुख्य साझेदार केहैसियत से असैनिक समाज शामिल होंगे।

उन कोशिशों में जहाँ, सरकार को मुख्य भूमिका निभानी होगी, कार्यान्वयन एनुअल कोर्परट प्लेन (अई सी पी) के ज़रिये किए जाएँगे। ये प्लेन मंत्रालयों और विभागों के लिए बगल किए गए बजट के अनुकूल होगा। इस पर प्रायवट सेक्टर और जनता के साथ भी विचार

विमर्श किया जाएगा।

जिन योजनाओं को सरकारी एजन्सियों द्वारा कार्यरूप दिया जाता है, उनके वेर्टिकल और होरीज़ोन्टल कोर्डीनेशन को सख्त करने की ज़रूरत होती है। मंत्रालयों के पेर्मनन्ट सेक्रेट्री, जो सामान्य तौर पर वेर्टिकल कोडीनेशन को आश्वस्त करते हैं, यह ध्यान देंगे कि एनुअल कोर्परट प्लेन में पीपल्स चार्टर कोशिश को शामिल किया जाए।

होरीज़ोन्टल कोडीनेशन को विभिन्न स्तरों पर मज़बूत किया जाएगा- राजनीतिक, प्रशासनिकऔर साझेदार स्तर पर.

- राजनीतिक स्तर मंत्री मण्डल, मंत्री मण्डल सब कोमिटी और मंत्रियों के निर्णयों से सम्बन्धित है। ये निर्णय, जैसे ज़रूरत और उपयुक्त हो, पीपल्स चार्टर के कार्यान्वयन के लिए निर्देश प्रदान करेंगे।

- प्रशासनिक स्तर कोर्परट प्लेन में कार्यक्रमों और योजनाओं को कार्यरूप देने में सरकारी एजन्सियों के निर्देशन और कोडीनेशन से सम्बन्धित है। अई सी पी को पीपल्स चार्टर के अनुकूल होना होगा। कोडीनेशन डेवेलोप्मेन्ट सब कोमिटी की सामान्य सभा के ज़रिये होगा

- साझेदार स्तर पीपल्स चार्टर के परिणाम को हासिल करने मेंशामिल सभी के बीच कोडीनेशन के लिए महत्वपूर्ण है- सरकार, प्रायवट सेक्टर, और असैनिक समाज- तथा उन सभी के बीच जो चार्टर को कार्यरूप दे रहे हैं तथा समाज जो इस से फायदा उठाएँगे। कोडीनेशन नेशनल पीपल्स चार्टर काउँसल और उनके सब कोमिटियों द्वारा होगा। निगरानी रखने एवं मूल्यांकन पर बल दिया जाएगा ताकि कार्यान्वयन में सुधार के लिए लोगो के विचार प्रदान किए जा सके।

मुख्य स्तम्भ, जो पीपल्स चार्टर की नीव है असरकारक कार्यान्व यनऔर मोनिट्रिंग के आधार होंगे। कार्यान्वयन के लिए समयसीमा तथा पीपल्स चार्टर और स्टेट ओफ द् नेशन एन्ड द् इकोनोमी रिपोर्ट में शामिल कार्रवाई एवं तरीके चार चरणों में विभाजित किए गए हैं: इमीडियट (वर्ष **1-2008/2009);** छोटा अरसा (वर्ष **2-3);** मध्य अरसा (वर्ष **4-6);** और लम्बा अरसा (**2020** तक)।

पीपल्स चार्टर में कुछ मुख्य कोशिशों के सफल कार्यान्वयन जैसे कि आम चुनाव प्रणाली में बदलाव, के लिए संवैधानिक और वैधानिक बदलाव की ज़रूरत, नई पोलिसी कोशिश तथा स्पष्ट प्रशासनिक व्यव स्थाओं की ज़रूरत होगी।

जहाँ तक निगरानी रखने का सवाल है, ये ज़रूरी है कि संस्थागत व्यवस्था के पास ताकतहो ज़रूरी आदेशों का पालन करने का। नेशनल पीपल्स चार्टर काउँसल (एन पी सी सी) की संस्थापना करने की ज़रूर त है ताकि वो पीपल्स चार्टर के कार्यान्वयन पर नज़र रख सके और प्रगति पर रिपोर्ट दे सके।

एन पी सी सी में सभी साझेदारों को शामिल किया जाएगा और ये सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। सदस्यों को सरकार, संसद, प्रायवट सेक्टर संस्थाओं, ग्रेट काउँसल ओफ चीफ्स, गैर-सरकारी संस्थाए, धार्मिक संस्थाएँ, प्रांतिये काउँसल्स, एडवाईसरी काउँसल्स तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं से चुना जाएगा।

एन पी सी सी पीपल्स चार्टर के परिणाम और उनके विभिन्न “की पे फोर्मन्स इन्डीकेटस” पर नज़र रखेगा। एन पी सी सी और उनके सब कोमिटी खुद को कै पी आई के खिलाफप्रगति का आकलण करने तक सीमित नहीं रखेंगे। सब कोमिटियों की एक अहम भूमिका होगी कै पी आई के परिणाम का आकलण करना तथा वे किस तरह की जानकारी प्रदान करते है ताकि सभी कै पी आई के उपयुक्तता को पर पुन: जाँच की जाए।

एन पी सी सी की भूमिका में शामिल होगी:

- पीपल्स चार्टर का कार्यान्वयन, आम तौर पर की पेफोर्मन्स इन्डीकेटस के परिणामों पर गौर करेगा;

- सभी साझेदारों, सरकार, प्रायवट सेक्टर, और समाज के अन-य सेक्टरों, को परामर्श के लिए फोरम प्रदान करना- जो राष्ट्रीय विकास मामलों पर बातें करेंगे; तथा

- पीपल्स चार्टर, अच्छे शासन, राष्ट्रीये पहचान और काउँसल द्वारा अन्य ज़रूरतमन्द विषयों पर शिक्षा।

निष्कर्ष

वास्तविक दुनिया में, सभी कुछ एक दूसरे से जुड़ा है और बदलाव के लिए विभिन्न विषयसूची के बीच बहुत से लिन्कज है। इन में से कुछ को "क्रोस-कटिंग मामलें" कहे जात हैं। विभिन्न ज़रूरतों के लिए ज़मीन की उपलब्धि और अनुपलब्धि एक ऐसा विषय है जिस कापरिणाम कई क्षेत्रों में मिलता है- उदाहरण के तौर पर कृषि, टूरिज़्म व्यवसाय तथा सोशल हाउसिंग। वातावरण की गिरती हुई स्तर भी अर्थ व्यवस्था के कई क्षेत्रों पर असर कर रहे हैं। एक फ्रीडम ओफ इन्फोर्मेशन लौ पूरे पब्लिक सेक्टर में व्यवहार कोबदल देगा। मानव अधिकारों को बरकरार रखने में असमर्थता (उदाहरण के तौर पर लिंग समानता) का व्यापक नकारात्मक असर पूरे समाज पर पड़ेगा।

अन्य "क्रोस-कटिंग मामलें"सूक्ष्म तरीकों से कार्य कर सकते हैं लेकिन ये और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कानून को पिछली सरकारों और सत्ता पलटावों द्वारा इतना कमज़ोर समझा गया है कि समाज के हर एक हिस्से में कानून क लिए आदर-सम्मान या उसका पालन करने को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है।

इसी तरह से,संसद् की असफलता कि कई सालों से पब्लिक अकाउन्ट्स कोमिटी की सभा नहीं हुई है।इस के कारण पब्लिक सेक्टर में जवाबदेही बिखर चुका है।

अन्य "कोस-कटिंग मामलें", जिन पर गौर करना चाहिए में शामिल है फीजी के समाज मेंनेतागिरी के गुणों की कमी, अर्थ व्यवस्था के कई क्षेत्रों में बुरा प्रशासन (उदाहरण क तौर पर चीनी व्यवसाय, कृषि मार्केटिंग, विभिन्न कोमेशल कम्पनियाँ जिन पर सरकार का भी मालिकाना अधिकार है) तथा कई पोलिसी क्षेत्रों में बुरा नीति निर्धारण, और कोडीनेशन।

कोस-कटिंग मामले, या आम तौर पर, जिस तरह से एक नीति या कार्यक्रम एक सेक्टर में कार्य करता है और लिन्कज के द्वारा जिस तरह से अन्य नीति और कार्यक्रम क्षेत्रों को प्रभावित करता है, को हमेशा मस्तिक्षक में रखना चाहिए। हालांकि, मुख्य विषय यह है कि जिस तरह से बीते सालों में बूरी नीतियों ने अर्थ व्यवस्था और समाज पर नकारात्मक असर किया है- जिस के फलस्वरूप दोनों बुरे कार्यक्षमता और गरीबी की ओर बढ़ते चले गए हैं।अच्छी नीतियाँ अन्य क्षेत्रों के नीतियों पर भी सकारात्मक असर करती हैं। इस का लक्ष्य हैअच्छी नीतियों की बढ़ती हुई संस्था का निर्माण करना जो एक दूसरे को साझा सकारात्मक विचार प्रदान करे, तथा हर एक नीति को सफल बनाए। ये जल्द ही अच्छी नीतियों को निर्धारित करेंगे, जो अर्थ व्यवस्था और समाज में सुधार करने के लिए एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। आर्थिक विकास की प्रकिया को इस तरह से देखा जा सकता है।

अब कार्य है अच्छी तरह सै तैयार रोडमेप, जो कि परिवर्तन, शान्ति और प्रगति के लिए पीपल्स चार्टर है, की ओर बढ़ना और फीजी को एक गैर-जातीय, सांस्कृतिक तौर पर उत्साहित और संगठित ,अच्छी तरह शासित, लोकतांत्रिक राष्ट्र जो योग्यता के आधार पर समान मौकों के ज़रिये शान्ति और प्रगति की तलाश करती हो, न्याय संगत और सभी के मानव अधिकारों का पालन करने वाला राष्ट्र बनाए।